



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

# वित्त लेखे (खण्ड-1) 2024-25



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार



# वित्त लेखे (खण्ड-I)

वर्ष 2024-25

उत्तराखण्ड सरकार



विषय सूची		
	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>खण्ड I</b>	
.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iv-v
.	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiii
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2.	प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण * विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक (रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश)	4-6 7-8
3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	9-11
4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि) अ. क्रियाकलापवार व्यय ब. प्रकृतित्वार व्यय	12-15 16-17
5.	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	18-22
6.	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	23-27
7.	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	28-30
8.	सरकार के निवेशों का विवरण	31
9.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	32
10.	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण	33-34
11.	दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण	35-36
12.	राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण	37-40
13.	शेषों का सार (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)	41-44
.	वर्ष 2024-25 हेतु वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	45-69

विषय सूची		
	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>खण्ड II</b>	
	<b>भाग I-ब्यौरेवार विवरण</b>	
14.	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	72-122
15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	123-186
16.	लघु शीर्षवार एवं उपशीर्षवार पूँजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	187-319
17.	उधार एवं अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण	320-339
18.	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरेवार विवरण	340-350
19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	351-352
20.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का ब्यौरेवार विवरण	353-356
21.	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	357-380
22.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	381-384
	<b>भाग II : परिशिष्ट</b>	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	386-398
II	उपादान पर तुलनात्मक व्यय	399-414
III	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक अनुदान/ सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)	415-443
IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का ब्यौरेवार विवरण	444-447
V	योजनाओं पर व्यय (क. केन्द्रीय योजनाएँ, ख. राज्य योजनाएँ)	448-490
VI	राज्य में कार्यान्वित संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (बिना जाँचा हुआ आँकड़ा)	491-503
VII	शेषों की स्वीकृति तथा मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 तथा 21 में दर्शाया गया है)	504-508
VIII	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	509
IX	31 मार्च 2025 को अपूर्ण लोक निर्माण कार्यों के अनुबंधों की प्रतिबद्धता का विवरण	510-526
X	वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण ( 31 मार्च 2025 को)	527-539
XI	वर्ष के दौरान सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ	540-542
XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	543-544
XIII	ऐसे मदों का विवरण, जिनके शेषों का आवंटन राज्यों के पुनर्गठन के कारण अंतिम रूप से नहीं किया जा सका	545



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से / में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड - I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड - II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

#### अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

#### प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

### वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।


वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (9 एवं 20, विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी 2) और परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI एवं XII) सीधे उत्तराखण्ड सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

### वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(के. संजय मूर्ति)

दिनांक: 08 OCT 2025

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

### (अ) सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन:-

1. उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण एवं देयताएँ व परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे के साथ विनियोग खाते होते हैं, जो अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

#### भाग-I : समेकित निधि:

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण, वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम एवं ऋण की अदायगी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार एवं भारतीय संविधान में उपबंधित उद्देश्यों एवं रीति के अलावा इस निधि से कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे- संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि) राज्य की संचित निधि पर भारित (प्रभारित व्यय) होता है एवं विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। अन्य सभी व्ययों पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित)। इन्हें आगे “प्राप्तियों” एवं “व्यय” में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, जैसे ‘कर राजस्व’, ‘करेतर राजस्व’ एवं ‘सहायता अनुदान व अंशदान’। ये तीन क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में बँट जाते हैं, जैसे- ‘आय एवं व्यय पर कर’, ‘राजकोषीय सेवाएँ’ आदि। ‘पूँजीगत प्राप्तियाँ’ अनुभाग में कोई क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होता। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है- जैसे “सामान्य सेवाएँ”, “सामाजिक सेवाएँ”, “आर्थिक सेवाएँ” एवं “सहायता अनुदान व अंशदान”। ‘राजस्व व्यय’ अनुभाग के अंतर्गत ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में बँट जाते हैं, जैसे- “राज्य के अंग”, “शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति” आदि। ‘पूँजीगत व्यय’ अनुभाग- सात क्षेत्रकों में उपविभाजित किया जाता है- जैसे “सामान्य सेवाएँ”, “सामाजिक सेवाएँ”, “आर्थिक सेवाएँ”, “लोक ऋण”, “ऋण एवं अग्रिम”, “अंतर्राज्यीय समायोजन” एवं ‘आकस्मिकता निधि को विनियोजन’।

#### भाग-II आकस्मिकता निधि:

यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे राज्य विधायिका विधि द्वारा स्थापित किया जाता है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। राज्य के समेकित निधि से सम्बंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्ययों को नामे करके आपूर्ति किया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखण्ड सरकार की आकस्मिकता निधि में ₹ 500.00 करोड़ है।

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

### भाग-III लोक लेखा:


सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किये गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा किए जाते हैं। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे-अल्प बचत एवं भविष्य निधि, जमा (ब्याज एवं बिना ब्याज), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज एवं बिना ब्याज), धन-प्रेषण एवं उच्चंत शीर्ष (जिनमे दोनों अंतिम लेखांकन के लम्बित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध कुल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लोक लेखा में छः क्षेत्रक होते हैं- नामतः 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि आदि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उच्चंत एवं विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष'। ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में उपविभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है।

- सरकारी लेखा एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत होता है नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं वस्तु शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों का, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/गतिविधियों का, उप शीर्ष योजनाओं का, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं का एवं वस्तु शीर्ष व्यय का उद्देश्य/वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है।
- लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति निम्नवत है: (31 मार्च 2025 तक संशोधित मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

5. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:



## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किये जाते हैं :

**खण्ड-I** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, तेरह (13) विवरण, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी देते हैं, एवं 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' शामिल होते हैं | **खण्ड-II** में तेरह विवरणों एवं 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' का विवरण नीचे दिया गया है-

### 1. वित्तीय स्थिति का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार की परिसंपत्ति एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना को दर्शाता है |

### 2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण :

यह विवरण राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, नामतः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे, में सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है | इसके अतिरिक्त, इसके साथ एक अनुलग्नक होता है, जो सरकार के नकद शेषों (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाता है | अनुलग्नक विस्तृत रूप से सरकार की अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी दर्शाता है |

### 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):

यह विवरण राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों, उधार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों के पुनर्भुगतान को दर्शाता है | यह विवरण वित्त लेखे के खंड-II ब्यौरेवार विवरण संख्या 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है |

### 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि):

वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से भिन्न यह विवरण व्यय की गतिविधि की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) का भी ब्यौरा देता है | यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है |

### 5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:

यह विवरण खण्ड-II में ब्यौरेवार विवरण संख्या 16 के अनुरूप है |

### 6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:

सरकार के उधारों के अन्तर्गत बाज़ार से लिया गया ऋण (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं | 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि', 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल होते हैं | इस विवरण में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 17 के अनुरूप है |

### 7. सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकाय/प्राधिकरण एवं प्राप्तकर्ता व्यक्तियों (सरकारी कर्मियों सहित) को दिए गये ऋण तथा पेशगियों को दर्शाता है | यह विवरण खण्ड-II में ब्यौरेवार विवरण संख्या 18 के अनुरूप है |

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

### 8. सरकार के निवेशों का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त कम्पनियों, सहकारी संस्थान एवं स्थानीय निकायों के समता पूंजी में किये गए निवेश को दर्शाता है | यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 19 के अनुरूप है |

### 9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:

इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गये ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं को संक्षिप्त में दर्शाया गया है | यह विवरण खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 20 के अनुरूप है |

### 10. सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण:

यह विवरण 'अनुदान प्राप्तकर्ता' के विभिन्न वर्गों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गये सभी अनुदानों को दर्शाता है | परिशिष्ट-III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है |

### 11. दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण:

यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में दर्शाए गये सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायक होता है |

### 12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण:

यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्ति से अदा की जानी चाहिए, जबकि पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिये |

### 13. शेषों का सार (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा):

यह विवरण लेखे की परिशुद्धता प्रमाणित करने में सहायक है | यह विवरण खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 से सम्बन्धित है |

### ‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक नोट प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेनों, लेनदेनों के वर्गों, शेष राशि आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखों के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आईजीएस) की आवश्यकताओं, खातों के रूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को वित्त लेखे के खण्ड-I में ‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ के भाग के रूप में शामिल किया गया है |

---

**वित्त लेखे की मार्गदर्शिका**


---

वित्त लेखे के खण्ड-II में दो भाग हैं – भाग एक में नौ ब्यौरेवार विवरण एवं भाग दो में तेरह परिशिष्ट हैं।

**खण्ड-II का भाग-I**

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण, खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण संख्या 3 के अनुरूप है। लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विवरण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, यह विवरण केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उप-शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण जो खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 4 के अनुरूप है, राज्य सरकार के राजस्व व्ययों को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्त मत व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता है।
16. **लघु शीर्षवार एवं उपशीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 5 के अनुरूप होता है, जो राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं दत्त मत व्यय अलग प्रदर्शित किया जाता है। लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण प्रस्तुत करने के अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में यह विवरण उपशीर्ष स्तर पर भी ब्यौरा दर्शाता है।
17. **उधार एवं अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 6 के अनुरूप है, इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋणों का विवरण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम शामिल होते हैं। यह विवरण तीन वर्गों के तहत ऋणों की जानकारी देता है: (अ) व्यक्तिगत ऋणों का विवरण (ब) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् अलग-अलग वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में देय राशि (स) बकाया ऋणों पर ब्याज दरों का खाका एवं बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 7 के अनुरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण वर्ष के दौरान निवेशों के इकाई-वार और प्रमुख और लघु शीर्ष-वार निवेशों का विवरण दर्शाता है, जहां विवरण 16 और 19 के बीच अंतर है। यह विवरण खंड I में विवरण 8 के अनुरूप है।
20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण अधिष्ठान वार सरकार की प्रत्याभूतियों का विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड-I के विवरण संख्या 9 के अनुरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण लघु शीर्ष स्तर तक आकस्मिकता निधि की अनापूर्ति धनराशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों को प्रस्तुत करता है।
22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किये गए निवेश के ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।

## वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

### खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में तेरह परिशिष्ट होते हैं जो विभिन्न मदों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना आदि शामिल हैं। ये विवरण उप शीर्ष स्तर अथवा नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक लेखे में दर्शाये जाते हैं, इसलिए साधारणतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा खण्ड-II में 'विषय सूची' में दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखे के विवरण और 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ' वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों के लेखों के साथ-साथ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती हैं।

#### (ब) शीघ्र गणक:

निम्न अनुभाग खण्ड-I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड-II में विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा सम्पर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)।

मानदंड	खण्ड-I	खण्ड-II	
	संक्षिप्त विवरण	ब्यौरेवार विवरण	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (वेतन), II (उपादान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान	2,10		III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1,2,7	18	
ऋणों की स्थिति /उधार	1,2,6	17	
सरकारी कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13		
लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश	1,2,12,13	21,22	
प्रत्याभूति	9	20	
योजनायें			IV (बाह्य सहायतित परियोजना)





## 1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

संपत्ति <sup>1</sup>	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
<b>रोकड़</b>			<b>2,255.91</b>	<b>1,804.76</b>
(i) कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	...	वि० सं० 2 का अनुलग्नक	...	...
(ii) विभागीय शेष	...	21	(-)10.71	(-)10.71
(iii) स्थायी नकद अग्रदाय	...	21	(-)0.81	(-)0.81
(iv) नकद शेष निवेश लेखा	...	21	...	...
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि जमा राशि है तो (-) चिन्ह से सम्मिलित करें)	...	वि० सं० 2 का अनुलग्नक	(-)1.19	(-)102.34
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	...	21 & 22	2,268.62	1,918.62
<b>पूँजीगत व्यय</b>	...		<b>1,02,140.78</b>	<b>91,035.28</b>
(i) कंपनियों व निगमों के शेयरों में निवेश <sup>2</sup>	...	8 & 19	4,940.50	4,527.50
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय	...	16	97,200.28	86,507.78
<b>आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूर्ति)</b>	5	21	<b>310.13</b>	<b>308.81</b>
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	...	7 & 18	<b>3,217.20</b>	<b>2,562.89</b>
<b>विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम</b>	...	21	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>
<b>उच्चत तथा विविध शेष<sup>3</sup></b>	...	21	...	<b>(-)60.95</b>
<b>प्रेषण शेष</b>	...	21	...	<b>(-)85.74</b>
<b>प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य<sup>4</sup></b>	...	13 & 16	...	...
<b>पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि</b>			<b>(-)0.02</b>	<b>(-)0.01</b>
<b>योग</b>			<b>1,07,924.42</b>	<b>95,565.46</b>

1 परिसंपत्तियों तथा देयताओं के आंकड़े संचयी (Cumulative) हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' संख्या 1 (v) देखिए

2 कम्पनियों, सांविधिक निगमों आदि के शेयरों में पूँजीगत व्यय से निवेश अलग दर्शाया गया है।

3 इस विवरण में पंक्ति मद 'उच्चत एवं विविध शेषों' में 'नकद शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेषों' एवं 'स्थाई नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं, जिसे ऊपर अलग से दर्शाया गया, यद्यपि इन लेखों में अन्यत्र ये मद इस क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं।

4 प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) आधिक्य या व्यय का प्राप्तियों से संचयी आधिक्य वर्तमान वर्ष के राजकोषीय / राजस्व घाटे से भिन्न है।

## 1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्व <sup>1</sup>	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
<b>उधार (लोक ऋण)</b>			<b>77,034.96</b>	<b>67,960.74</b>
(i) आन्तरिक ऋण	...	6 & 17	65,555.78	57,378.79
बाजार ऋण	...	6 & 17	56,710.02	48,710.02
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	6 & 17	1,438.84	607.06
क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	...	6 & 17	0.77	0.77
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	...	6 & 17	3,645.12	3,529.22
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	...	6 & 17	3,761.00	4,531.69
अन्य ऋण	...	6 & 17	0.03	0.03
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	6 & 17	11,479.18	10,581.95
आयोजनेतर ऋण	...	6 & 17	0.95	1.37
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत स्कीमों हेतु ऋण	...	6 & 17	285.77	326.00
1984-85 से पूर्व के ऋण	...	6 & 17	0.53	0.53
विधानमंडल सहित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजनाओं हेतु अन्य ऋण	...	6 & 17	11,191.93 <sup>1</sup>	10,254.05
<b>आकस्मिकता निधि (संग्रह/संचय)</b>	4	21	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>लोक लेखे पर दायित्व</b>	...		<b>28,818.34</b>	<b>19,872.68</b>
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	...	12, 17 & 21	9,960.66	9,671.23
(ii) जमा	...	12, 17 & 21	4,634.54	4,463.33
			<b>8,758.82<sup>2</sup></b>	
(iii) आरक्षित निधियां	...	12, 21 & 22	5,304.49	5,738.12
(iv) प्रेषण शेष	...	12 & 21	102.27	...
(v) उच्चत और विविध शेष (शुद्ध)	...	21	57.56 <sup>3</sup>	...
<b>प्राप्तियों का व्यय पर संचयी आधिक्य</b>	...	...	<b>1,571.12<sup>4</sup></b>	<b>7,232.04<sup>5</sup></b>
<b>योग</b>			<b>1,07,924.42</b>	<b>95,565.46</b>

<sup>1</sup>केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऋण चुकाने के कारण प्रोफार्मा में सुधार के कारण उनकी शेष राशि में ₹ 1,640.15 करोड़ की कमी आई। विस्तृत पूर्व अवधि समायोजन पृष्ठ 44 पर है।

<sup>2</sup>यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अनाबंटित शेष को दर्शाता है

<sup>3</sup>पृष्ठ संख्या 2 के फुटनोट संख्या 3 को देखें।

<sup>4</sup>विवरण संख्या 12 से भिन्नता ₹(-)327.77 करोड़ के विविध पूंजी प्राप्तियों से योगदान और ₹ (+)0.04 करोड़ पूर्णांकन के कारण है।

<sup>5</sup>विवरण संख्या 12 से भिन्नता आकस्मिकता निधि में ₹ 500.00 करोड़ के विनियोजन, ₹ (-) 327.77 करोड़ के विविध पूंजी प्राप्तियों से योगदान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच ₹ (-) 8,758.82 करोड़ की अनाबंटित शेष राशि के कारण है।

## 2. प्राप्ति एवं भुगतानों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्ति			भुगतान		
	2024-25	2023-24		2024-25	2023-24
<b>भाग - I समेकित निधि</b>					
<b>खण्ड-क : राजस्व</b>					
राजस्व प्राप्ति	51,473.34	50,615.01	राजस्व व्यय	50,015.58	47,273.96
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ वि० सं० 4A, 4B एवं 15		
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित/एकत्रित)	20,878.73	19,244.96	वेतन <sup>1</sup>	15,232.97	14,341.03
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ वि० सं० 4B एवं परिशिष्ट I		
करेत्तर राजस्व	4,181.52	4,418.09	उपादान	680.80	428.23
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ परिशिष्ट II		
ब्याज प्राप्ति	165.71	125.77	सहायक अनुदान <sup>2&amp;3</sup>	3,561.86	3,837.49
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ वि० सं० 4B, 10 एवं परिशिष्ट III		
अन्य	4,015.81	4,292.32	सामान्य सेवाएं	15,752.58	13,919.89
सन्दर्भ वि० सं० 3			सन्दर्भ वि० सं० 4 एवं 15		
			ब्याज अदायगी तथा ऋण शोधन सन्दर्भ वि० सं० 4 एवं 15	5,925.00	5,302.45
संघीय करों/शुल्कों का अंश	14,387.36	12,627.75	पेंशन	8,478.75	7,597.49
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ वि० सं० 4A, 4B एवं 15		
			अन्य	1,348.83	1,019.95
			सन्दर्भ वि० सं० 4A, 4B एवं 15		
			सामाजिक सेवाएं	8,615.87	8,238.38
			सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 15		
			आर्थिक सेवाएं	3,463.87	3,951.54
			सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 15		
केंद्र सरकार से अनुदान	12,025.73	14,324.22	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	2,707.64 <sup>4</sup>	2,557.39
सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14			सन्दर्भ वि० सं० 4A, 10 एवं 15		
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	...	(-)0.01	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	(-)0.01	0.01
<b>राजस्व घाटा</b>	...	...	<b>राजस्व आधिक्य</b>	<b>1,457.76</b>	<b>3,341.05</b>

<sup>1</sup> एक समेकित आंकड़े के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रभागों के वेतन, सब्सिडी, एवं सहायक अनुदान सम्बन्धी आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरण में क्षेत्रों सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अधीन दर्शाये गये व्यय के अंतर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नहीं है। ( पाद टिप्पणी (ब) में व्याख्यायित)

<sup>1</sup> वेतन में वस्तु शीर्ष 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता और 06-अन्य भत्ते शामिल हैं।

<sup>2</sup> सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान दिया जाता है, जिसे ऊपर पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन हेतु दिये जाने वाले शुल्कों, करों से भिन्न है जिन्हें "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" के रूप में पृथक से दर्शाया गया है।

<sup>3</sup> सहायता अनुदान में वस्तु शीर्ष 05- वेतन, भत्ते और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान एवं वस्तु शीर्ष 56- सहायक अनुदान (गैर वेतन) (मुख्य शीर्ष 3604 - 'स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन' में वस्तु शीर्ष 56 के अंतर्गत पुस्तांकित किए गए ₹ 687.64 करोड़ रुपये को छोड़कर) शामिल हैं।

<sup>4</sup> इसमें वस्तु शीर्ष 69-समनुदेशन के अंतर्गत दर्ज ₹ 2,020.00 करोड़ और मुख्य शीर्ष 3604-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 56-सहायक अनुदान (गैर वेतन) के अंतर्गत दर्ज ₹ 687.64 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

## 2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियाँ		भुगतान			
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	
<b>भाग - I समेकित निधि</b>					
<b>खण्ड ख पूँजीगत</b>					
पूँजीगत प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14	...	...	पूँजीगत व्यय सन्दर्भ वि० सं० 4A, 4B एवं 16	11,105.50 10,981.80	
			वेतन	... ...	
			सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	2,047.61 2,359.68	
			सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	2,927.24 3,496.37	
			आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	6,130.65 5,125.74	
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	...	...	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	... 0.01	
ऋण तथा अग्रिम वसूली सन्दर्भ वि० सं० 3, 7 एवं 18	36.69	15.82	ऋण तथा अग्रिम भुगतान सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	691.00 124.09	
सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	...	...	सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	... ...	
सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	...	...	सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	35.81 ...	
आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	35.97	15.06	आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	654.21 122.87	
अन्य (सरकारी कर्मचारी एवं विविध) सन्दर्भ वि० सं० 7	0.72	0.76	अन्य (सरकारी कर्मचारी एवं विविध) सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	0.98 1.23	
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	...	...	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	... (-0.01)	
लोक ऋण की प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	39,708.51	28,831.69	लोक ऋण का पुनर्भुगतान सन्दर्भ वि० सं० 4A, 6 एवं 17	28,994.14 23,029.73	
आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. आदि) <sup>1</sup> सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	37,108.97	26,781.99	आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ. आदि) सन्दर्भ वि० सं० 4A, 6 एवं 17	28,931.98 22,961.63	
भारत सरकार से ऋण सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	2,599.54	2,049.70	भारत सरकार से ऋण सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	62.16 68.10	
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	...	...	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	... ...	
अंतर्राज्यीय समायोजन लेखा	...	...	अंतर्राज्यीय समायोजन लेखा	... ...	
आकस्मिकता निधि को विनियोजन सन्दर्भ वि० सं० 21	...	...	आकस्मिकता निधि को विनियोजन सन्दर्भ वि० सं० 21	... ...	
समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3	91,218.54	79,462.52	समेकित निधि से कुल व्यय सन्दर्भ वि० सं० 4	90,806.22 81,409.58	
राजकोषीय घाटा <sup>2</sup>	10,302.05	7,749.02	राजकोषीय अधिशेष	... ...	
समेकित निधि में घाटा	...	1,947.06	समेकित निधि में आधिक्य	412.32 ...	

<sup>1</sup> राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1 अप्रैल 2024 को ₹ 4,531.69 करोड़ की राशि शेष थी जो कि 31 मार्च 2025 को घटकर ₹ 3,761.00 करोड़ रह गई।

<sup>2</sup> राजस्व घाटा = (राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+ऋण तथा अग्रिम भुगतान+अंतर्राज्यीय समायोजन+आकस्मिकता निधि को विनियोजन) - (राजस्व प्राप्तियाँ+विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ+ऋण तथा अग्रिम वसूली+अंतर्राज्यीय समायोजन)

## 2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियाँ			भुगतान		
	2024-25	2023-24		2024-25	2023-24
<b>भाग - II आकस्मिकता निधि</b>					
आकस्मिकता निधि सन्दर्भ वि० सं० 21	308.81	178.50	आकस्मिकता निधि सन्दर्भ वि० सं० 21	310.13	308.81
<b>भाग - III लोक लेखा<sup>1</sup></b>					
अल्प बचतें सन्दर्भ वि० सं० 21	2,135.35	1,959.49	अल्प बचतें सन्दर्भ वि० सं० 21	1,845.92	1,741.83
आरक्षित निधियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21	2,570.07	1,569.47	आरक्षित निधियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21	3,353.70	765.99
जमाएं सन्दर्भ वि० सं० 21	6,459.05	6,212.73	जमाएं सन्दर्भ वि० सं० 21	6,287.84	5,630.06
अग्रिम सन्दर्भ वि० सं० 21	...	...	अग्रिम सन्दर्भ वि० सं० 21	...	...
उच्चंत एवं विविध सन्दर्भ वि० सं० 21	73,844.28	71,482.41	उच्चंत एवं विविध <sup>2</sup> सन्दर्भ वि० सं० 21	73,847.67	70,976.88
प्रेषण सन्दर्भ वि० सं० 21	1.42	2.26	प्रेषण सन्दर्भ वि० सं० 21	(-)15.10	4.74
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	...	(-)0.02	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	(-)0.01	...
<b>लोक लेखा की कुल प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21</b>	<b>85,010.17</b>	<b>81,226.34</b>	<b>लोक लेखा का कुल भुगतान सन्दर्भ वि० सं० 21</b>	<b>85,320.02</b>	<b>79,119.50</b>
<b>लोक लेखा में घाटा सन्दर्भ वि० सं० 21</b>	<b>309.85</b>	<b>...</b>	<b>लोक लेखा में आधिक्य सन्दर्भ वि० सं० 21</b>	<b>...</b>	<b>2,106.84</b>
प्रारम्भिक रोकड़ शेष सन्दर्भ वि० सं० 21	(-)102.34	(-)131.82	अंतिम रोकड़ शेष सन्दर्भ वि० सं० 21	(-)1.19	(-)102.34
रोकड़ शेष में वृद्धि	101.15	29.48	रोकड़ शेष में कमी	...	...

<sup>1</sup>कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-21 देखिए |<sup>2</sup>उच्चंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि शामिल हैं | ये 'अन्य लेखे' सम्मिलित होने के कारण अधिक प्रतीत होते हैं | कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-21 देखें |

**2. प्राप्ति एवं भुगतानों का विवरण**  
**विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश**

(करोड़ ₹ में)

सरकार की कुल रोकड़ स्थिति		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
<b>(क)</b>	<b>सामान्य रोकड़ शेष</b>		
	1. कोषागारों में रोकड़	...	...
	2. रिजर्व बैंक में जमा <sup>1</sup>	(-)1.19	(-)102.34
	3. पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	...	...
	<b>योग (1 से 3)</b>	(-)1.19	(-)102.34
	4. रोकड़ शेष निवेश लेखा में निवेश	...	...
	<b>योग (क)</b>	(-)1.19	(-)102.34
<b>(ख)</b>	<b>अन्य रोकड़ शेष व निवेश</b>		
	1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ शेष	(-)10.71 <sup>2</sup>	(-)10.71 <sup>2</sup>
	2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम	(-)0.81 <sup>2</sup>	(-)0.81 <sup>2</sup>
	उद्दिष्ट निधियों से निवेश	2,268.62	1,918.62
	<b>योग (ख)</b>	<b>2,257.10</b>	<b>1,907.10</b>
	<b>योग (क) और (ख)</b>	<b>2,255.91</b>	<b>1,804.76</b>

**व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ**

**(क) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य :**

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अंतर्गत कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा एवं पारगमन में प्रेषण सम्मिलित हैं जैसा कि ऊपर दिया गया है। 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष {उपरोक्त क (2)} वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के संयुक्त शेषों को चित्रित करता है। समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष/आरक्षित निधि आदि में से निवेश को 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़ा जाता है।

**(ख) दैनिक रोकड़ शेष:**

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 0.16 करोड़ न्यूनतम शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन रोकड़ शेष अनुबंध के इस न्यूनतम शेष से कम हो जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण या विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष से पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़<sup>3</sup> शेष की गणना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिए प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउंटर पर, अंतर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंक द्वारा प्रस्तुत कोषागार लेन-देन) के साथ 14 दिवसीय कोषागार देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। इस तरह गणना किये गये रोकड़ शेष में परिपक्व हुए 14 दिवसीय कोषागार देयकों को जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषागार देयकों में पुनः निवेश कर दिया जाता है। यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा अवशेष से कम होता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषागार की धारिता से कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय कोषागार देयक की धारिता नहीं है, तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है।

<sup>1</sup> रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के अंतर्गत अवशेष की गणना 16 अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2024-25 से सम्बंधित अन्तर्शासकीय मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत की गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत लेखे में दर्शित ₹ 1.19 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 0.05 करोड़ (जमा) के आंकड़ों में ₹ 1.24 करोड़ (जमा) का अंतर है। अंतर मिलान के अधीन है।

30.06.2025 को लेखों में सम्मिलित 'रिजर्व बैंक में जमा' एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में ₹ 2.01 करोड़ (जमा) का अंतर है।

<sup>2</sup> इन शीर्षों के तहत ये शेष राशि क्रेडिट हैं, इसलिए आंकड़े ऋणात्मक दिखाई देते हैं।

<sup>3</sup> रोकड़ शेष 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' 31 मार्च को वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष है परन्तु जिसका आंकलन 16 अप्रैल को किया गया तथा यह 31 मार्च का साधारण दैनिक रोकड़ शेष नहीं है।

**2. प्राप्ति एवं भुगतानों का विवरण**  
**विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक**  
**रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश**

(करोड़ ₹ में)

**(ग) अर्थोपाय अग्रिम :**

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से ₹ 602.00 करोड़ थी | बैंक ने सरकार की प्रत्याभूतियाँ बंधक करने के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमति प्रदान की है | बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित करता है | वर्ष 2024-25 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 602 करोड़ से ₹ 839 करोड़ के बीच परिवर्तित होती रही | वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 25,904.74 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम लिए एवं ₹ 25,072.96 करोड़ वापस किये | 31 मार्च 2025 को ₹ 1,438.84 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम वापसी हेतु शेष रहा |

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने जिस सीमा तक रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखा, नीचे दिया गया है:

(i)	दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	246
(ii)	दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	10
(iii)	दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	98
(iv)	दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात भी न्यूनतम शेष में कमी रही तथा कोई अधिविकर्ष प्राप्त नहीं किया गया	शून्य
(v)	दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया	11

**(घ)** ब्याज की बैंक दर 01 अप्रैल 2024 से 06 फरवरी 2025 तक 6.75 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जिसको 07 फरवरी 2025 से 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया।

तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर 01 अप्रैल 2024 से 06 फरवरी 2025 तक 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जिसको 07 फरवरी 2025 से 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान अग्रिमों, अधिविकर्षों तथा कमियों पर ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष) निम्नवत् थी:

अवधि	विशेष अर्थोपाय अग्रिम	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम		कमी	अधिविकर्ष	
		पहले (90 दिनों तक)	(90 दिनों से आगे)		अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत तक	अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से आगे/अधिक
01 अप्रैल 2024 से 06 फरवरी 2025 तक	6.50	6.50	7.50	शून्य	8.50	11.50
07 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025	6.25	6.25	7.25	शून्य	8.25	11.25

**(ड.) कोषागार देयक**

दिनांक 1 अप्रैल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 के दौरान ₹ 12,395.83 करोड़ राशि के कोषागार देयक क्रय किए गए एवं ₹ 12,395.83 करोड़ की राशि के कोषागार देयक विक्रय किये गए जिससे शीर्ष के अंतर्गत ₹ शून्य करोड़ शेष रहा |

**(च) सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया निवेश -**

दिनांक 31 मार्च 2025 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया निवेश निम्नवत है-

( ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु	रोकड़ शेष निवेश लेखा	उद्दिष्ट निधि	योग
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	...	2,268.62	2,268.62
2	भारत सरकार के कोषागार देयक	...	...	...

## 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	2024-25	2023-24
<b>I-</b>	<b>कर तथा करेतर राजस्व</b>		
<b>क.</b>	<b>कर राजस्व</b>		
<b>क. 1</b>	<b>स्वकर राजस्व</b>	<b>20,878.72</b>	<b>19,244.97</b>
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	9,264.11	8,297.06
	होटल रसीद कर	0.10	(-)0.44
	भू राजस्व	18.76	13.92
	स्टाम्प एवं पंजीकरण प्रभार	2,601.90	2,431.96
	राज्य उत्पाद प्रभार	4,362.05	4,040.59
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,606.76	2,519.27
	वाहन कर	1,474.11	1,389.67
	बिजली पर कर एवं शुल्क	365.02	333.95
	अन्य	185.91	218.99
<b>क. 2</b>	<b>करों का शुद्ध समनुदेशित भाग</b>	<b>14,387.36</b>	<b>12,627.75</b>
	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	4,202.01	3,832.37
	निगम कर	4,082.54	3,790.28
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	5,206.32	4,377.28
	स्टाम्प एवं पंजीकरण प्रभार	731.98	442.54
	संघ उत्पाद प्रभार	140.90	167.46
	सेवा कर	0.44	2.34
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार	23.17	15.48
	<b>योग- क</b>	<b>35,266.08</b>	<b>31,872.72</b>
<b>ख.</b>	<b>करेतर राजस्व</b>		
	ब्याज प्राप्तियाँ	165.71	125.77
	लाभांश और लाभ	21.10	25.20
	<b>अन्य करेतर राजस्व</b>		
	लोक सेवा आयोग	14.53	7.73
	पुलिस	37.76	43.58
	जेल	12.43	1.00
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.67	3.28
	लोक निर्माण कार्य	68.66	81.02
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	73.32	119.46
	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	1,189.20 <sup>1</sup>	1,662.02 <sup>2</sup>
	विविध सामान्य सेवाएँ	35.41	22.74
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	203.56	246.90
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	333.92	207.17
	परिवार कल्याण	0.73	0.08
	जल आपूर्ति एवं सफाई	3.90	58.45
	आवास	7.29	6.78
	शहरी विकास	0.94	7.27
	सूचना तथा प्रचार	0.17	0.23
	श्रम तथा रोजगार	15.63	12.24

<sup>1</sup> इसमें 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त पेंशन आवंटन के ₹ 1,140.97 करोड़ शामिल हैं |<sup>2</sup> इसमें 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त पेंशन आवंटन के ₹ 1,510.45 करोड़ शामिल हैं |

## 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(करोड़ ₹ में)

विवरण		2024-25	2023-24
<b>I-</b>	<b>कर तथा करेतर राजस्व -समाप्त</b>		
<b>ख.</b>	<b>करेतर राजस्व-समाप्त</b>		
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.43	105.60
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	19.52	20.75
	फसल कृषिकर्म	14.28	8.05
	पशुपालन	2.30	2.65
	दुग्ध विकास	0.99	1.95
	मछली पालन	0.15	0.02
	वानिकी और वन्य जीव	579.91	551.53
	खाद्य भंडारण और भण्डारगृह	0.13	0.22
	सहकारिता	41.51	64.82
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.02	0.06
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8.12	10.60
	प्रमुख सिंचाई	0.29	0.27
	मध्यम सिंचाई	19.46	11.81
	लघु सिंचाई	8.74	3.16
	बिजली	136.79	205.64
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	0.50	...
	ग्राम तथा लघु उद्योग	4.23	32.21
	उद्योग	0.92	0.01
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1,040.59	645.84
	अन्य उद्योग	0.33	0.01
	नगर उड्डयन	30.08	11.60
	सड़क परिवहन	2.98	74.03
	पर्यटन	57.11	16.36
	सिविल आपूर्ति	3.77	9.30
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	10.46	10.67
	<b>योग-अन्य</b>	<b>3,994.73</b>	<b>4,267.11</b>
	<b>योग- ख</b>	<b>4,181.54</b>	<b>4,418.08</b>
<b>II. भारत सरकार से अनुदान</b>			
<b>ग.</b>	<b>केंद्रीय सरकार से सहायक अनुदान-</b>		
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	5,399.70	5,675.90
	केंद्रीय सहायता / अंश	4,418.50	4,948.91
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ-केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए	1,293.33	734.72
	घटायें- वापसियाँ	(-312.13)	(-)7.73
	<b>वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>6,476.42</b>	<b>8,050.20</b>
	हस्तांतरणोत्तर राजस्व घाटा अनुदान	4,916.00	6,223.00
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	368.27	471.81
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	107.15	223.98
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सहायता अनुदान	868.00	826.40
	राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता अनुदान	217.00	305.00

## 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(करोड़ ₹ में)

विवरण		2024-25	2023-24
<b>II. भारत सरकार से अनुदान</b>			
ग.	केंद्रीय सरकार से सहायक अनुदान-समाप्त		
	विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	149.63	598.12
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान	1.18	0.00
	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में योगदान के लिए अनुदान	21.30	0.00
	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान	55.07	109.70
	विशेष सहायता	16.26	11.80
	जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजा	55.82	476.62
	<b>योग-ग</b>	<b>12,025.75</b>	<b>14,324.22</b>
	<b>कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)</b>	<b>51,473.37</b>	<b>50,615.02</b>
<b>III. पूंजीगत, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ</b>			
घ	पूंजीगत प्राप्तियाँ		
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	<b>योग-घ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ङ	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	37,108.97	26,781.99
	बाजार ऋण	10,400.00	6,300.00
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	787.29	845.48
	भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों से ऋण	16.94	0.00
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	0.00	109.80
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	25,904.74	19,526.71
	<b>केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>	<b>2,599.54</b>	<b>2,049.70</b>
	राज्यों/विधान मंडलों वाले संघ शासित प्रदेशों हेतु ऋण एवं अग्रिम	2,599.54 <sup>1</sup>	2,049.70
	<b>योग-ङ</b>	<b>39,708.51</b>	<b>28,831.69</b>
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियां) <sup>2</sup>	36.69	15.82
छ	अंतर्राज्यीय समायोजन		
	<b>योग- समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ(क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)</b>	<b>91,218.57<sup>3</sup></b>	<b>79,462.53</b>

<sup>1</sup> इसमें ₹ 143.70 करोड़ का ब्लॉक ऋण, ₹ 2,455.84 करोड़ के पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना शामिल है।

<sup>2</sup> विस्तृत विवरण खंड-I के विवरण 7 और खंड-II के विवरण 18 में हैं।

<sup>3</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े (अर्थात् ₹ 91,218.54 करोड़) से ₹ (+)0.03 करोड़ की राशि भिन्न है।

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## अ. क्रियाकलापवार व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
<b>क</b>	<b>सामान्य सेवाएँ</b>				
<b>क.1</b>	<b>राज्य के अंग</b>	<b>705.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.08</b>
	संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	115.02	0.00	0.00	115.02
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	14.55	0.00	0.00	14.55
	मंत्री परिषद्	41.50	0.00	0.00	41.50
	न्याय का प्रशासन	357.40	0.00	0.00	357.40
	निर्वाचन	176.61	0.00	0.00	176.61
<b>क.2</b>	<b>राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>466.70</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.70</b>
	भू राजस्व	248.94	0.00	0.00	248.94
	स्टाम्प और पंजीकरण	44.54	0.00	0.00	44.54
	राज्य उत्पाद प्रभार	38.89	0.00	0.00	38.89
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3.79	0.00	0.00	3.79
	वाहन कर	0.90	0.00	0.00	0.90
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	126.82	0.00	0.00	126.82
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार	2.82	0.00	0.00	2.82
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.00	50.00	0.00	50.00
<b>क.3</b>	<b>ब्याज भुगतान और ऋण सेवा</b>	<b>5,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925.00</b>
	ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	350.00	0.00	0.00	350.00
	ब्याज अदायगियां	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
<b>क.4</b>	<b>प्रशासनिक सेवाएँ</b>	<b>4,008.14</b>	<b>1,997.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,005.75</b>
	लोक सेवा आयोग	65.35	0.00	0.00	65.35
	सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	309.78	0.00	0.00	309.78
	जिला प्रशासन	220.63	0.00	0.00	220.63
	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	125.18	0.00	0.00	125.18
	पुलिस	2,444.88	109.90	0.00	2,554.78
	जेल	92.51	0.00	0.00	92.51
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	10.21	0.00	0.00	10.21
	लोक निर्माण कार्य	508.60	1,887.71	0.00	2,396.31
	सतर्कता	20.86	0.00	0.00	20.86
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	210.14	0.00	0.00	210.14

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## अ. क्रियाकलापवार व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
<b>क</b>	<b>सामान्य सेवाएँ</b>				
<b>क.5</b>	<b>पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ</b>	<b>8,476.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,476.75</b>
	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	8,478.75	0.00	0.00	8,478.75
	विविध सामान्य सेवाएँ	(-)2.00	0.00	0.00	(-)2.00
	<b>योग क -सामान्य सेवाएँ</b>	<b>19,581.67</b>	<b>2,047.61</b>	<b>0.00</b>	<b>21,629.28</b>
<b>ख</b>	<b>सामाजिक सेवाएँ</b>				
<b>ख.1</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति</b>	<b>10,751.75</b>	<b>618.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,370.29</b>
	सामान्य शिक्षा	10,017.11	407.38	0.00	10,424.49
	तकनीकी शिक्षा	240.50	85.55	0.00	326.05
	खेलकूद और युवा सेवाएँ	462.28	119.19	0.00	581.47
	कला तथा संस्कृति	31.86	6.42	0.00	38.28
<b>ख.2</b>	<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	<b>3,868.14</b>	<b>160.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,028.80</b>
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,735.00	160.66	0.00	3,895.66
	परिवार कल्याण	133.14	0.00	0.00	133.14
<b>ख.3</b>	<b>जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास</b>	<b>1,076.81</b>	<b>1,606.16</b>	<b>35.81</b>	<b>2,718.78</b>
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	643.38	491.51	0.00	1,134.89
	आवास	11.10	342.77	35.81	389.68
	शहरी विकास	422.33	771.88	0.00	1,194.21
<b>ख.4</b>	<b>सूचना एवं प्रसारण</b>	<b>565.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565.59</b>
	सूचना एवं प्रचार	565.59	0.00	0.00	565.59
<b>ख.5</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>	<b>222.23</b>	<b>160.47</b>	<b>0.00</b>	<b>382.70</b>
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	222.23	160.47	0.00	382.70
<b>ख.6</b>	<b>श्रम एवं श्रम कल्याण</b>	<b>166.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.87</b>
	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	166.87	0.00	0.00	166.87
<b>ख.7</b>	<b>समाज कल्याण एवं पोषण</b>	<b>4,042.61</b>	<b>73.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,116.51</b>
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,567.90	73.90	0.00	2,641.80
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,474.71	0.00	0.00	1,474.71

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## अ. क्रियाकलापवार व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
<b>ख</b>	<b>सामाजिक सेवाएँ</b>				
<b>ख.8</b>	<b>अन्य</b>	<b>0.20</b>	<b>307.50</b>	<b>0.00</b>	<b>307.70</b>
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	307.50	0.00	307.50
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	0.20	0.00	0.00	0.20
	<b>योग ख -सामाजिक सेवाएँ</b>	<b>20,694.20</b>	<b>2,927.23</b>	<b>35.81</b>	<b>23,657.24</b>
<b>ग</b>	<b>आर्थिक सेवाएँ</b>				
<b>ग.1</b>	<b>कृषि और संबंधित गतिविधियां</b>	<b>2,199.98</b>	<b>949.54</b>	<b>244.15</b>	<b>3,393.67</b>
	फसल कृषिकर्म	800.50	121.50	131.85	1,053.85
	पशुपालन	391.43	48.20	0.00	439.63
	डेयरी विकास	124.55	33.25	10.00	167.80
	मत्स्य पालन	54.24	30.91	0.00	85.15
	वानिकी और वन्य जीवन	328.15	115.32	0.00	443.47
	खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण	180.64	600.54	0.00	781.18
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	155.98	0.00	0.00	155.98
	सहकारिता	164.49	(-)0.18	102.30	266.61
<b>ग.2</b>	<b>ग्रामीण विकास</b>	<b>2,153.56</b>	<b>1,526.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680.31</b>
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	122.39	0.00	0.00	122.39
	ग्रामीण रोजगार	252.47	0.00	0.00	252.47
	भूमि सुधार	13.33	0.00	0.00	13.33
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,765.37	1,526.75	0.00	3,292.12
<b>ग.3</b>	<b>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</b>	<b>603.59</b>	<b>1,117.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720.75</b>
	मुख्य सिंचाई	311.90	813.29	0.00	1,125.19
	मध्यम सिंचाई	212.98	6.26	0.00	219.24
	लघु सिंचाई	45.50	180.58	0.00	226.08
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	33.21	117.03	0.00	150.24
<b>ग.4</b>	<b>ऊर्जा</b>	<b>29.12</b>	<b>785.05</b>	<b>408.46</b>	<b>1,222.63</b>
	शक्ति	0.28	684.28	408.46	1,093.02
	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	28.84	100.77	0.00	129.61
<b>ग.5</b>	<b>उद्योग एवं खनिज</b>	<b>267.46</b>	<b>38.67</b>	<b>0.00</b>	<b>306.13</b>
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	223.96	15.67	0.00	239.63
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	43.50	0.00	0.00	43.50
	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए ऋण	0.00	23.00	0.00	23.00

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## अ. क्रियाकलापवार व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	आर्थिक सेवाएँ				
ग.6	परिवहन	1,337.65	1,497.84	1.61	2,837.10
	सिविल उड्डयन	65.84	30.36	0.00	96.20
	सड़कें तथा सेतु	1,090.64	1,348.08	0.00	2,438.72
	सड़क परिवहन	181.17	119.40	1.61	302.18
ग.7	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	70.16	0.00	0.00	70.16
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	67.63	0.00	0.00	67.63
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2.53	0.00	0.00	2.53
ग.8	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	370.58	215.66	0.00	586.24
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	115.26	0.00	0.00	115.26
	पर्यटन	189.34	215.66	0.00	405.00
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	27.18	0.00	0.00	27.18
	सिविल आपूर्ति	31.19	0.00	0.00	31.19
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	7.61	0.00	0.00	7.61
	योग ग -आर्थिक सेवाएँ	7,032.10	6,130.67	654.22	13,816.99
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,707.64	0.00	0.00	2,707.64
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	2,707.64	0.00	0.00	2,707.64
ड	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	0.00	0.00	0.98	0.98
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	0.00	0.00	0.98	0.98
च	लोक ऋण	0.00	0.00	28,994.14	28,994.14
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	0.00	28,931.98	28,931.98
	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	0.00	0.00	62.16	62.16
	कुल-समेकित निधि व्यय	50,015.61 <sup>1</sup>	11,105.51 <sup>2</sup>	29,685.15 <sup>3</sup>	90,806.27 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> राजस्व हेतु कुल समेकित निधि व्यय, पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 50,015.58 करोड़) से ₹ (+) 0.03 करोड़ भिन्न है।

<sup>2</sup> पूँजी हेतु कुल समेकित निधि व्यय, पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 11,105.50 करोड़) से ₹ (+) 0.01 करोड़ भिन्न है।

<sup>3</sup> ऋण एवं अग्रिम हेतु कुल समेकित निधि व्यय, पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 29,685.14 करोड़) से ₹ (+) 0.01 करोड़ भिन्न है।

<sup>4</sup> कुल समेकित निधि व्यय, पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 90,806.22 करोड़) से ₹ (+) 0.05 करोड़ भिन्न है।

<sup>3</sup> सम्मिलित है-

(i) ऋण एवं अग्रिम ₹ 691.01 करोड़ |

(ii) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण ₹ 28,931.98 करोड़ |

(iii) केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम ₹ 62.16 करोड़ |

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## ब. प्रकृतिवार व्यय

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	व्यय के मद	2024-25			2023-24		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
01	वेतन	9,477.98	...	9,477.98	9,349.66	...	9,349.66
02	मजदूरी	280.64	...	280.64	252.77	...	252.77
03	मंहगाई भत्ता	4,930.23	...	4,930.23	4,169.12	...	4,169.12
04	यात्रा व्यय	114.53	...	114.53	88.32	...	88.32
05	वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान	1,391.29	...	1,391.29	1,352.41	...	1,352.41
06	अन्य भत्ते	824.76	...	824.76	822.25	...	822.25
07	मानदेय	81.38	...	81.38	71.89	...	71.89
08	पारिश्रमिक	994.35	...	994.35	944.97	...	944.97
09	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10.44	...	10.44	10.49	...	10.49
10	प्रशिक्षण व्यय	30.54	...	30.54	21.86	...	21.86
11	अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	11.42	...	11.42	9.19	...	9.19
12	पेंशन/पारितोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8,127.58	...	8,127.58	7,270.24	...	7,270.24
13	अर्जित अवकाश नकदीकरण	348.47	...	348.47	324.47	...	324.47
14	केंद्र प्रायोजित योजना का एकल नोडल एजेंसी को स्थानांतरण	2,646.14	2,388.57	5,034.71	3,295.19	2,882.45	6,177.64
20	लेखन सामग्री एवं छपाई	56.69	...	56.69	38.55	...	38.55
21	फर्नीचर, जुड़नार एवं उपकरण	40.02	...	40.02	40.90	...	40.90
22	सामान्य कार्यालय व्यय	123.30	...	123.30	68.11	...	68.11
23	किराया, उपशुल्क एवं स्वामित्व कर	20.71	...	20.71	18.85	...	18.85
24	विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	522.74	...	522.74	224.19	...	224.19
25	उपयोगिता बिलों का भुगतान	482.77	...	482.77	482.46	...	482.46
26	कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों की खरीद /अनुरक्षण	71.22	...	71.22	66.30	...	66.30
27	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	221.40	...	221.40	192.48	...	192.48
28	कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	49.96	...	49.96	28.25	...	28.25
29	गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	151.54	...	151.54	108.75	...	108.75
30	आतिथ्य व्यय	12.69	...	12.69	14.13	...	14.13
31	गुप्त सेवा व्यय	21.16	...	21.16	27.83	...	27.83
40	मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र	205.31	...	205.31	139.14	...	139.14
41	भोजन व्यय	42.88	...	42.88	40.67	...	40.67
42	अन्य विभागीय व्यय	5,294.56	309.24	5,603.80	3,289.73	3.00	3,292.73
43	औषधी तथा रसायन	240.12	...	240.12	333.52	...	333.52
44	सामग्री एवं सम्पूर्ति	69.89	641.93	711.82	70.98	676.51	747.49
45	छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	137.98	...	137.98	90.97	...	90.97
46	पौधारोपण	25.18	62.96	88.14	19.31	56.08	75.39
50	उपादान	680.80	...	680.80	428.23	...	428.23
51	अनुरक्षण	1,414.43	...	1,414.43	1,211.13	...	1,211.13
52	लघु कार्य	106.89	...	106.89	80.38	...	80.38

## 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

## ब. प्रकृतिवार व्यय

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	व्यय के मद	2024-25			2023-24		
		राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
53	वृहद निर्माण	...	6,161.05	6,161.05	0.70	6,371.12	6,371.82
54	भूमि क्रय	...	348.97	348.97	61.96	382.60	444.56
55	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सर्जन हेतु अनुदान	...	904.93	904.93	...	538.99	538.99
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	2,858.20	...	2,858.20	3,247.53	66.83	3,314.36
57	सामाजिक सुरक्षा (पेंशन)	1,699.68	...	1,699.68	1,542.91	...	1,542.91
60	निवेश	...	413.00	413.00	...	204.36	204.36
62	ब्याज/लाभांश	5,575.00	...	5,575.00	5,192.45	...	5,192.45
66	अंतर-लेखा उच्चंत	1,818.27	...	1,818.27	1,356.40	...	1,356.40
67	धनवापसी	5.58	...	5.58	15.98	...	15.98
68	बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम	1.70	...	1.70	0.80	...	0.80
69	समनुदेशन	2,020.00	...	2,020.00	1,794.94	...	1,794.94
61	ऋण का पुनर्भुगतान	...	28,994.14	28,994.14	...	23,029.73	23,029.73
61	ऋण और अग्रिम	...	691.00	691.00	...	124.09	124.09
	<b>सकल योग(1)</b>	<b>53,240.42</b>	<b>40,915.79</b>	<b>94,156.21<sup>1</sup></b>	<b>48,211.36</b>	<b>34,335.76</b>	<b>82,547.12</b>
	<b>घटाएं-प्राप्तियाँ (योग)(2)</b>	<b>3,224.85</b>	<b>125.16</b>	<b>3,350.01</b>	<b>937.42</b>	<b>200.13</b>	<b>1,137.55</b>
	<b>योग(निवल)(1-2)</b>	<b>50,015.57</b>	<b>40,790.63</b>	<b>90,806.20<sup>2</sup></b>	<b>47,273.94</b>	<b>34,135.63</b>	<b>81,409.57</b>

<sup>1</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 94,156.24 करोड़) से ₹ (-) 0.03 करोड़ भिन्न है।<sup>2</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 90,806.22 करोड़) से ₹ (-) 0.02 करोड़ भिन्न है।

## 5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 के अंत तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)
<b>क-</b>	<b>सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>					
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	71.32	4.68	21.32	(+)968.38
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	109.90	705.91	58.15	596.01	(+)88.99
4058-	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	...	6.81	...	6.81	...
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	1,887.71	10,670.31	2,296.86	8,782.60	(-)17.81
	<b>योग-क सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	2,047.61	11,454.35	2,359.69	9,406.74	(-)13.23
<b>ख-</b>	<b>सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>					
<b>(क)-</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा-</b>					
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	618.55	5,670.97	523.64	5,052.42	(+)18.13
	<b>योग-(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा</b>	618.55	5,670.97	523.64	5,052.42	(+)18.13
<b>(ख)-</b>	<b>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-</b>					
4210-	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	160.66	3,629.18	807.71	3,468.52	(-)80.11
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	...	60.60	...	60.60	...
	<b>योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा</b>	160.66	3,689.78	807.71	3,529.12	(-)80.11

## 5. प्रगामी पूँजीगत का विवरण

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 के अंत तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा - क्रमशः					
(ग)-	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा -					
4215-	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	491.51	5,926.87	918.46	5,435.36	(-)46.49
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	342.77	1,271.35	263.85	928.58	(+)29.91
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	771.88	4,769.07	717.94	3,997.19	(+)7.51
	योग-(ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	1,606.16	11,967.29	1,900.25	10,361.13	(-)15.48
(ड)-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा-					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	160.47	1,045.44	95.05	884.97	(+)68.83
	योग-(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा	160.47	1,045.44	95.05	884.97	(+)68.83
(छ)-	समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा-					
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	73.90	519.33	167.73	445.43	(-)55.94
	योग-(छ) समाज कल्याण एवं पोषण का पूँजीगत लेखा	73.90	519.33	167.73	445.43	(-)55.94

## 5. प्रगामी पूँजीगत का विवरण

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 के अंत तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा - समाप्त					
(ज)-	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	307.50	507.47	2.00	199.97	(+)15,275.00
	योग-(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	307.50	507.47	2.00	199.97	(+)15,275.00
	योग-ख सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	2,927.24	23,400.28	3,496.38	20,473.04	(-)16.28
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-					
(क)-	कृषि और संबंधित गतिविधियों का पूँजीगत लेखा -					
4401-	फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	121.50	416.12	134.47	294.62	(-)9.65
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	48.20	206.66	39.45	158.46	(+)22.18
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	33.25	56.43	2.00	23.18	(+)1,562.50
4405-	मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	30.91	100.34	26.70	69.43	(+)15.77
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	115.32	971.04	63.15	855.72	(+)82.61
4408-	खाद्य भंडारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय	600.54	6,484.44	628.94	5,883.90	(-)4.52
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	(-)0.18	13.82	...	14.00	...
	योग-(क) कृषि और संबंधित गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	949.54	8,248.85	894.71	7,299.31	(+)6.13

## 5. प्रगामी पूँजीगत का विवरण

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 के अंत तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा - क्रमशः					
(ख)-	ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,526.75	16,273.41	1,257.36	14,746.66	(+)21.43
	योग-(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा	1,526.75	16,273.41	1,257.36	14,746.66	(+)21.43
(ग)-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूँजीगत लेखा -					
4551-	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	...	2,443.05	...	2,443.05	...
	योग-(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूँजीगत लेखा	...	2,443.05	...	2,443.05	...
(घ)-	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	813.29	4,627.95	351.26	3,814.66	(+)131.54
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	6.26	231.20	12.16	224.94	(-)48.52
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	180.58	2,310.67	163.99	2,130.09	(+)10.12
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	117.03	2,035.61	120.53	1,918.58	(-)2.90
	योग-(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	1,117.16	9,205.43	647.94	8,088.27	(+)72.42
(ङ)-	ऊर्जा का पूँजीगत लेखा -					
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	684.28	4,924.89	568.59	4,240.61	(+)20.35
4810-	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय	100.77	167.60	66.83	66.83	(+)50.79
	योग-(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	785.05	5,092.49	635.42	4,307.44	(+)23.55

## 5. प्रगामी पूँजीगत का विवरण

(करोड़ ₹ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2024-25 के दौरान व्यय	2024-25 के अंत तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा - समाप्त					
(च)-	उद्योग एवं खनिज का पूँजीगत लेखा-					
4851-	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	15.67	191.29	10.00	175.62	(+)56.70
4859-	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	23.00	385.67	40.46	362.67	(-)43.15
4885-	उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	...	383.33	...	383.33	...
	योग-(च) उद्योग एवं खनिज का पूँजीगत लेखा	38.67	960.29	50.46	921.62	(-)23.37
(छ)-	परिवहन का पूँजीगत लेखा -					
5053-	सिविल उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	30.36	524.82	67.06	494.46	(-)54.73
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,348.08	22,007.80	1,337.28	20,659.72	(+)0.81
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	119.40	804.39	99.74	684.99	(+)19.71
	योग-(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा	1,497.84	23,337.01	1,504.08	21,839.17	(-)0.41
(ज)-	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा -					
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	215.66	1,725.64	135.79	1,509.98	(+)58.82
	योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	215.66	1,725.64	135.79	1,509.98	(+)58.82
	योग-ग आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	6,130.67	67,286.17	5,125.76	61,155.50	(+)19.61
	सकल योग	11,105.52 <sup>1</sup>	1,02,140.80 <sup>2</sup>	10,981.83	91,035.28	(+)1.13

<sup>1</sup>पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े (अर्थात् ₹ 11,105.50 करोड़) से पूर्णांकित पूर्णांक संख्या ₹ (+) 0.02 करोड़ रुपये से भिन्न है।

<sup>2</sup>पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े (अर्थात् ₹ 1,02,140.78 करोड़ रुपये) से पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े ₹ (+) 0.02 करोड़ रुपये से भिन्न है।

टिप्पणी: वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के अंत तक सरकार का विभिन्न संस्थानों में पूँजीगत और ऋण पत्रों के अंतर्गत कुल निवेश क्रमशः ₹ 4,043.90 करोड़, ₹ 4,527.50 करोड़ एवं ₹ 4,913.72 करोड़ रहा एवं वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान उस पर लाभांश के रूप में क्रमशः ₹ 25.07 करोड़, ₹ 25.20 करोड़ एवं ₹ 21.10 करोड़ की प्राप्ति हुई।

## 6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

## (i) लोक ऋण एवं अन्य देयताओं का विवरण

(करोड़ ₹ में)

उधार का स्वरूप	01 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष	शुद्ध वृद्धि (+) /कमी (-)		कुल देयताओं का प्रतिशत
					धनराशि	प्रतिशत	
<b>क - लोक ऋण</b>							
<b>6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>							
बाजार ऋण	48,710.02	10,400.00	2,400.00	56,710.02	8,000.00	(+)16.42	59.91
अनुबंधपत्र / प्रतिज्ञापत्र	0.77	...	...	0.77	...	...	...
भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	607.06	25,904.74	25,072.96	1,438.84	831.78	(+)137.02	1.52
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	4,531.69	...	770.69	3,761.00	(-)770.69	(-)17.01	3.97
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,529.22	804.23	688.33	3,645.12	115.90	(+)3.28	3.85
अन्य ऋण	0.03	...	...	0.03	...	...	...
<b>योग 6003</b>	<b>57,378.79</b>	<b>37,108.97</b>	<b>28,931.98</b>	<b>65,555.78</b>	<b>8,176.99</b>	<b>(+)14.25</b>	<b>69.25</b>
<b>6004 - केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>							
आयोजनेत्तर ऋण	1.37	...	0.42	0.95	(-)0.42	(-)30.66	...
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	326.00	...	40.23	285.77	(-)40.23	(-)12.34	0.30
1984-85 से पूर्व के ऋण	0.53	...	...	0.53	...	...	...
विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश / राज्य योजनाओं हेतु अन्य ऋण	8,613.90 <sup>1</sup>	2,599.54	21.51	11,191.93	2,578.03	(+)29.93	11.83
<b>योग 6004</b>	<b>8,941.80<sup>1</sup></b>	<b>2,599.54</b>	<b>62.16</b>	<b>11,479.18</b>	<b>2,537.38</b>	<b>(+)28.38</b>	<b>12.13</b>
<b>योग लोक ऋण</b>	<b>66,320.59<sup>1</sup></b>	<b>39,708.51</b>	<b>28,994.14</b>	<b>77,034.96<sup>2</sup></b>	<b>10,714.37</b>	<b>(+)16.16</b>	<b>81.38</b>

<sup>1</sup>केंद्र सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण की अदायगी के कारण प्रोफार्मा में सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹1,640.15 करोड़ की कमी आई है। पूर्व अवधि समायोजन का विस्तृत विवरण पृष्ठ 44 पर दिया गया है।

<sup>2</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े (अर्थात ₹ 77,034.97 करोड़) से ₹ (-)0.01 करोड़ की राशि भिन्न है।

## 6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

## (i) लोक ऋण एवं अन्य देयताओं का विवरण

(करोड़ ₹ में)

उधार का स्वरूप	01 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 को शेष	शुद्ध वृद्धि (+) /कमी (-)		कुल देयताओं का प्रतिशत
					धनराशि	प्रतिशत	
<b>ख - अन्य देयताएँ</b>							
<b>लोक लेखा</b>							
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,671.23	2,135.35	1,845.92	9,960.66	289.43	(+)2.99	10.52
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	3,737.35	2,220.07	3,003.70	2,953.72	(-)783.63	(-)20.97	3.12
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	82.15	350.00	350.00	82.15	...	...	0.09
<b>ब्याज सहित जमा</b>	492.37	1,975.80	1,991.71	476.46	(-)15.91	(-)3.23	0.50
	<b>5,302.45</b>			<b>5,302.45</b> <sup>1</sup>			
<b>ब्याज रहित जमा</b>	3,970.96	4,483.25	4,296.13	4,158.08	187.12	(+)4.71	4.39
	<b>3,467.85</b>			<b>3,467.85</b> <sup>1</sup>			
<b>योग अन्य देयताएँ</b>	17,954.06	11,164.47	11,487.46	17,631.07	(-)322.99	(-)1.80	18.62
	<b>8,770.30</b>			<b>8,770.30</b>			
<b>योग-लोक ऋण एवं अन्य देयताएँ-</b>	84,274.65 <sup>2</sup>	50,872.98	40,481.60	94,666.03 <sup>3</sup>	10,391.38	(+)12.33	100.00
	<b>8,770.30</b>			<b>8,770.30</b>			

<sup>1</sup> यह आंकड़े उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनाबंटित शेष राशि को प्रदर्शित करते हैं।<sup>2</sup> केंद्र सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण की अदायगी के कारण प्रोफार्मा में सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹1,640.15 करोड़ की कमी आई है। पूर्व अवधि समायोजन का विस्तृत विवरण पृष्ठ 44 पर दिया गया है।<sup>3</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित निरपेक्ष आंकड़े (अर्थात ₹ 94,666.04 करोड़) से ₹ (-) 0.01 करोड़ की राशि भिन्न है।

## 6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

### 1 ऋण परिहार संबंधी व्यवस्था-

उत्तराखण्ड सरकार ने खुले बाजारों से लिए गये ऋणों के परिहार हेतु और अवशेष दायित्वों के परिहार हेतु एक 'समेकित ऋण शोधन निधि' की स्थापना की है। इस निधि को राजस्व (समेकित निधि) से अंशदान एवं निधि से किये गये निवेश से प्राप्त ब्याज द्वारा पोषित किया जाता है। सरकार इस निधि में पिछले वर्ष के अवशेष दायित्वों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर योगदान करेगी और करती रहेगी। इस निधि का उपयोग सरकार के अवशेष दायित्वों के परिहार हेतु किया जाना होता है। इस निधि का उपयोग सरकार के अवशेष दायित्वों के परिहार के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। 31 मार्च 2025 को कुल अवशेष दायित्व ₹ 94,666.04 करोड़ थे।

31 मार्च 2025 को 'समेकित ऋण शोधन निधि' का कुल शेष ₹ 5,371.75 करोड़ था, जिसमें ₹ 3,268.13 करोड़ ब्याज सम्मिलित हैं। इसमें से ₹ 5,371.75 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गये तथा ₹ 74.38<sup>1</sup> करोड़ निधि में शेष रहे। वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 300.00 करोड़ की धनराशि समेकित निधि से "ऋण शोधन निधि" में विनियोजित की गई।

### 2 लघु बचत निधि से ऋण-

डाकघर में 'अल्प बचत योजना' एवं 'लोक भविष्य निधि' के संचय में से दिए गये कर्ज को राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। अल्प बचत संग्रहों से ऋण प्रदत्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' की स्थापना की गई। वर्ष 2024-25 के दौरान इस निधि में किसी ऋण की प्राप्ति नहीं हुई, हालांकि ₹ 770.69 करोड़ का पुर्नभुगतान वर्ष के दौरान किया गया। 31 मार्च 2025 को कुल ₹ 3,761.00 करोड़ के शेष बकाया था, जो कि राज्य सरकार के कुल दायित्वों का 3.97 प्रतिशत था।

### 3 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

वर्ष 2024-25 के दौरान समेकित ऋण शोधन निधि हेतु समेकित निधि से ₹ 300.00 करोड़ का अंशदान विनियोजित किया गया था, हालांकि गारंटी मोचन निधि हेतु समेकित निधि से ₹ 50.00 करोड़ राशि विनियोजित की गई थी।

### 4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम-

भारत सरकार से लिए गये ऋण वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर ₹ 8,941.80 करोड़ थे, जो वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर ₹ 2,537.38 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 11,479.18 करोड़ हो गये।

<sup>1</sup> यह धनराशि वित्त लेखे खंड-II के मुख्य शीर्ष-8222 के अंतर्गत समेकित ऋण शोधन निधि के शुद्ध शेष को दर्शाती है, यथा मूलधन (₹ 2,178.00 करोड़) - निवेश (₹ 2,103.62 करोड़) = ₹ 74.38 करोड़

**6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण**  
**व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ**

**5 ऋण सेवा**

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान राजस्व से चुकाया गया बकाया कुल ऋण एवं अन्य दायित्व तथा निवल ब्याज का विवरण निम्न है:

		2023-24	2024-25	वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि (+) / कमी (-)
		(₹ करोड़ में)		
(i)	<b>वर्ष के अन्त में सकल ऋण और अन्य बकाया दायित्व</b>			
(क)	लोक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	75,991.82	86,995.63	(+11,003.81
(ख)	अन्य दायित्व	8,282.82	7,670.42	(-)612.40
	योग (i)	84,274.64	94,666.05	(+10,391.41
(ii)	<b>सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज</b>			
(क)	लोक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	4,891.63	5,225.11	(+333.48
(ख)	अन्य दायित्वों पर	300.82	349.89	(+49.07
	योग (ii)	5,192.45	5,575.00	(+382.55
(iii)	<b>घटाएँ</b>			
(क)	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	65.90	43.03	(-)22.87
(ख)	रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	23.97	37.63	(+13.66
	योग (iii)	89.87	80.66	(-)9.21
(iv)	ब्याज प्रभार की निवल राशि	5,102.58	5,494.34	(+391.76
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	10.26	10.83	(+0.57
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले निवल ब्याज की प्रतिशतता (मद iv)	10.08	10.67	(+0.59

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य प्राप्तियाँ और समायोजन भी हैं जिनकी कुल राशि ₹85.05 करोड़ है, जैसे वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, स्थानीय निकायों से प्राप्त ब्याज, और "विविध" खाते पर ब्याज। यदि इन्हें भी घटा दिया जाए, तो राजस्व पर ब्याज का शुद्ध भार ₹5,409.29 करोड़ होगा, जो राजस्व का 10.51 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में ₹ 21.10 करोड़ भी प्राप्त हुए हैं।

**6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण**  
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

**6 बाजार ऋण**

	ये लम्बी अवधि के ऋण हैं, जो बाजार से लिए गए तथा जिनकी भुगतान अवधि 12 महीने से अधिक है   वर्ष 2024-25 के दौरान ₹10,400.00 करोड़ राशि के दस (10) ऋण खुले बाजार से लिए गये   विवरण नीचे दिए गए हैं-		
क्रम संख्या	ऋण का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)	संबंधित माह
1	7.50% एस जी एस 2029	900.00	अप्रैल-2024
2	7.39% एस जी एस 2030	500.00	जून-2024
3	7.05% एस जी एस 2029	500.00	अक्तूबर-2024
4	7.06% एस जी एस 2030	500.00	नवम्बर-2024
5	7.15% एस जी एस 2030	1,000.00	दिसम्बर-2024
6	7.13% एस जी एस 2032	1,000.00	जनवरी-2025
7	7.14% एस जी एस 2032	2,000.00	फरवरी-2025
8	7.23% एस जी एस 2032	1,000.00	मार्च-2025
9	7.17% एस जी एस 2032	1,000.00	मार्च-2025
10	7.05% एस जी एस 2032	2,000.00	मार्च-2025
	<b>योग</b>	<b>10,400.00</b>	

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण  
भाग - 1 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2025 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी	बकायों में ब्याज भुगतान
सांविधिक निगम	236.10	1.61	...	...	237.71	1.61	
सरकारी कम्पनियाँ	595.89	408.46	35.29	...	969.06	373.17	
नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम	3.08	...	...	...	3.08	...	
शहरी विकास प्राधिकरण	20.87	...	...	...	20.87	...	
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	1,148.82	234.15	0.68	...	1,382.29	233.47	
सरकारी कर्मचारी	(-)19.83	0.98	0.72	...	(-)19.57 <sup>1</sup>	0.26	
विविध उद्देश्यों हेतु ऋण	3.65	...	...	...	3.65	...	
अन्य	574.32	45.81	...	...	620.13	45.81	
<b>योग-ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>2,562.90<sup>2</sup></b>	<b>691.01</b>	<b>36.69</b>	<b>...</b>	<b>3,217.22<sup>3</sup></b>	<b>654.32</b>	

<sup>1</sup>ये ऋण उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए थे। इन ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षकों के अंतर्गत दर्ज की जा रही है। इसलिए ऋणात्मक राशियाँ दर्शाई जा रही है।

<sup>2</sup>पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 2,562.89 करोड़) से ₹ (+) 0.01 करोड़ की भिन्नता है।

<sup>3</sup>पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 3,217.20 करोड़) से ₹ (+) 0.02 करोड़ की भिन्नता है।

निम्नलिखित ऋण के मामलों को "शाश्वत ऋण" के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है>(\* )

क्र० सं० ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	धनराशि	ब्याज दर
---------------------	---------------	-------------------	--------	----------

\* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण  
भाग - 2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋण एवं अग्रिमों को बढ़े खाते में डालना	31 मार्च 2025 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी	बकायों में ब्याज भुगतान
<b>सामान्य सेवाएँ-</b>							
अन्य ऋण	19.47	...	...	...	19.47	...	
<b>सामाजिक सेवाएँ-</b>							
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	35.81	...	...	77.90	35.81	
<b>आर्थिक सेवाएँ -</b>							
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,195.88	244.15	0.68	...	1,439.35	243.47	
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	...	...	...	503.16	...	
ऊर्जा	582.55	408.46	35.29	...	955.72	373.17	
उद्योग और खनिज	(-)0.18	...	...	...	(-)0.18 <sup>1</sup>	...	
परिवहन	236.10	1.61	...	...	237.71	1.61	
<b>सरकारी कर्मचारियों को ऋण-</b>	(-)19.83	0.98	0.72	...	(-)19.57 <sup>1</sup>	0.26	
<b>विविध उद्देश्यों के लिए ऋण-</b>	3.65	...	...	...	3.65	...	
<b>योग-</b>	<b>2,562.89</b>	<b>691.01</b>	<b>36.69</b>	...	<b>3,217.21<sup>2</sup></b>	<b>654.32</b>	

<sup>1</sup>ये ऋण उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए थे। इन ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षकों के अंतर्गत दर्ज की जा रही है। इसलिए ऋणात्मक राशियाँ दर्शाई जा रही है।

<sup>2</sup>पूर्णांकित पूर्ण आंकड़े (अर्थात् ₹ 3,217.20 करोड़) से पूर्णांकन के कारण ₹ (+) 0.01 करोड़ की राशि का अंतर है।

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण  
भाग - 3 अन्य ऋणी संस्थाओं की बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2025 को बकाया धनराशि			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2025 को ऋणी समूह पर कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।					

## 8. सरकार के निवेशों का विवरण

2023-24 एवं 2024-25 के लिए सरकार का विभिन्न संस्थानों में पूँजीगत और ऋण-पत्रों में निवेश का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

		2024-25			2023-24		
क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज
1	सांविधिक निगम	1	140.42	0.00	1	140.42	0.00
2	सरकारी कम्पनी	18	4,800.08	21.10	16	4,387.08	25.20
	योग	19	4,940.50	21.10	17	4,527.50	25.20

### 9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या) <sup>1</sup>	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि <sup>2</sup>	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त को छोड़कर)		वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अंत में बकाया <sup>3</sup>		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य वस्तुपरक विवरण
		मूलधन	ब्याज <sup>1</sup>	मूलधन	ब्याज <sup>1</sup>	मूलधन	ब्याज <sup>1</sup>	उन्मोचित की गई	उन्मोचित नहीं की गई	मूलधन	ब्याज <sup>1</sup>	प्राप्य	प्राप्त	
विद्युत	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		12.55	0.00	
सहकारिता	388.01	153.62 <sup>4</sup>		146.62		195.94		0.00	0.00	104.30		3.13	0.00	
राज्य वित्तीय निगम	0.00	0.64		0.00		0.33		0.00	0.00	0.31		0.24	0.00	
शहरी विकास एवं आवास	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		8.88	0.00	
अन्य संस्थाएं	0.00	1.53		0.00		0.29		0.00	0.00	1.24		0.11	0.00	
<b>योग</b>	<b>388.01</b>	<b>155.79</b>		<b>146.62</b>		<b>196.56</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.85</b>		<b>24.91</b>	<b>0.00</b>	

<sup>1</sup>राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

<sup>2</sup>राज्य सरकार द्वारा सहकारी को छोड़कर अधिकतम गारंटीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

<sup>3</sup>उपलब्ध जानकारी और राज्य सरकार के बजट पर आधारित।

<sup>4</sup>राज्य सरकार द्वारा संशोधित

## 10. सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण

(i) वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदेयी का नाम / श्रेणी		सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियाँ				कुल निधियों (कॉलम 2 में प्रदर्शित) से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियाँ			
		2023-24		2024-25		2023-24		2024-25	
1		2		3		4		5	
		योग	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सी.एस. एस./ सी.एस. सहित)	योग	योग	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता (सी.एस. एस./ सी.एस. सहित)	योग
<b>1</b>	<b>पंचायती राज संस्थायें</b>	<b>1,249.06</b>	<b>808.00</b>	<b>400.12</b>	<b>1,208.12</b>	...	...	...	...
(i)	जिला पंचायतें/ जिला परिषदें	348.73	303.00	55.35	358.35	...	...	...	...
(ii)	विकास खण्ड स्तर की पंचायतें	179.06	141.00	36.90	177.90	...	...	...	...
(iii)	ग्राम पंचायत	688.74	364.00	307.87	671.87	...	...	...	...
(iv)	अन्य	32.53	...	...	...	...	...	...	...
<b>2</b>	<b>नगरीय स्थानीय निकाय</b>	<b>1,308.33</b>	<b>1,324.80</b>	<b>174.73</b>	<b>1,499.53</b>	...	...	...	...
(i)	नगर निगम	515.19	485.00	67.42	552.42	...	...	...	...
(ii)	नगर पालिका/नगर निगम	609.52	574.59	79.21	653.80	...	...	...	...
(iii)	नगर पंचायत/ चिन्हित क्षेत्र/ समिति आदि	162.75	152.41	21.91	174.32	...	...	...	...
(iv)	अन्य	20.87	112.80	6.19	118.99	...	...	...	...
<b>3</b>	<b>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</b>	<b>148.88</b>	<b>202.12</b>	<b>0.00</b>	<b>202.12</b>	<b>2.00</b>	<b>39.92</b>	...	<b>39.92</b>
(i)	सरकारी कम्पनियां	59.84	99.12	...	99.12	...	39.92	...	39.92
(ii)	साविधिक निगम	89.04	103.00	...	103.00	2.00	...	...	...
<b>4</b>	<b>स्वायत्त निकाय</b>	<b>1,090.75</b>	<b>947.94</b>	<b>0.00</b>	<b>947.94</b>	<b>17.81</b>	<b>16.50</b>	...	<b>16.50</b>
(i)	विश्वविद्यालय	351.43	283.08	...	283.08	17.81	16.50	...	16.50
(ii)	विकास प्राधिकरण	159.63	177.31	...	177.31	...	...	...	...
(iii)	सहकारी संस्थाएं	0.30	0.40	...	0.40	...	...	...	...
(iv)	अन्य	579.39	487.15	...	487.15	...	...	...	...
<b>5</b>	<b>गैर सरकारी संगठन</b>	<b>142.47</b>	<b>210.05</b>	...	<b>210.05</b>	...	...	...	...
<b>6</b>	<b>अन्य</b>	<b>3,061.20</b>	<b>3,101.07</b>	<b>5.62</b>	<b>3,106.69</b>	<b>519.17</b>	<b>848.52</b>	...	<b>848.52</b>
	<b>योग</b>	<b>7,000.69</b>	<b>6,593.98</b>	<b>580.47</b>	<b>7,174.45<sup>1</sup></b>	<b>538.98</b>	<b>904.94</b>	...	<b>904.94</b>

<sup>1</sup> पूर्णांकन के कारण पूर्णांकित वास्तविक आंकड़े (यथा ₹ 7,174.43 करोड़) से ₹ (+) 0.02 करोड़ की भिन्नता है।

### 10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(ii) वस्तु रूप में कुल सहायता-अनुदान का कुल मूल्य एवं पूंजीगत परिसम्पत्ति के स्वरूप में वस्तु रूप में सहायता अनुदान का मूल्य, का विवरण

अनुदेयी का नाम / श्रेणी	वस्तु रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूँजीगत परिसम्पत्ति स्वरूप में वस्तु रूप में सहायता अनुदान का मूल्य
-------------------------	--	---

राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

---

## 11. दत्तमत एवं भारत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2024-25			2023-24		
	भारित	दत्तमत	योग	भारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्षक (राजस्व खाता)	6,117.80	43,897.78	50,015.58	5,492.33	41,781.63	47,273.96
व्यय शीर्षक (पूँजीगत खाता)	...	11,105.50	11,105.50	...	10,981.80	10,981.80
लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अंतर्राज्यीय समायोजन एवं आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण के अंतर्गत संवितरण	28,994.14	691.00	29,685.14	23,029.73	124.09	23,153.82
<b>योग</b>	<b>35,111.94</b>	<b>55,694.28</b>	<b>90,806.22</b>	<b>28,522.06</b>	<b>52,887.52</b>	<b>81,409.58</b>
(अ) आंकड़े निम्न से आये हैं -						
<b>ड.-लोक ऋण</b>	<b>28,994.14</b>	<b>0.00</b>	<b>28,994.14</b>	<b>23,029.73</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029.73</b>
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	28,931.98	...	28,931.98	22,961.63	...	22,961.63
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	62.16	...	62.16	68.10	...	68.10
<b>च-ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>0.00</b>	<b>691.00</b>	<b>691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124.10</b>	<b>124.10</b>
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	654.21	654.21	...	122.87	122.87
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	0.98	0.98	...	1.00	1.00
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.23	0.23
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	...	35.81	35.81	...	...	...
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...
<b>छ-अंतर्राज्यीय समायोजन</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
अंतर्राज्यीय समायोजन	...	...	...	...	...	...
<b>ज-आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण	...	...	...	...	...	...

## 11. दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	भारित	दत्तमत
2023-24	35.04	64.96
2024-25	38.67	61.33

## 12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का ब्योरेवार विवरण

(करोड़ ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
1	2	3	4
<b>पूँजीगत एवं अन्य व्यय -</b>			
<b>पूँजीगत व्यय - (उप क्षेत्रवार )</b>			
सामान्य सेवाएँ	9,431.74	2,050.42 <sup>1</sup>	11,482.16 <sup>1</sup>
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5,052.42	653.91 <sup>2</sup>	5,706.33 <sup>2</sup>
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	3,529.13	169.86 <sup>3</sup>	3,698.99 <sup>3</sup>
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	10,361.14	1,606.17	11,967.31
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण	885.59	212.85 <sup>4</sup>	1,098.44 <sup>4</sup>
समाज कल्याण एवं पोषण	460.43	148.66 <sup>5</sup>	609.09 <sup>5</sup>
अन्य सामाजिक सेवाएँ	199.97	307.50	507.47
कृषि और संबंधित गतिविधियाँ	7,309.32	939.53 <sup>6</sup>	8,248.85 <sup>6</sup>
ग्रामीण विकास	14,776.52	1,496.88 <sup>7</sup>	16,273.40 <sup>7</sup>
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,443.05	...	2,443.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8,088.26	1,117.17	9,205.43
ऊर्जा	4,307.44	785.05	5,092.49
उद्योग एवं खनिज	921.62	38.67	960.29
परिवहन	21,839.17	1,497.83	23,337.00
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,509.98	215.66	1,725.64
<b>योग - पूँजीगत व्यय - (उप क्षेत्रवार )</b>	<b>91,115.78</b>	<b>11,240.16</b>	<b>1,02,355.94</b>

31 मार्च 2025 तक आकस्मिकता निधि से अग्रिमों से मिले व्यय के कारण वृद्धि हुई <sup>1</sup> ₹ 27.81 करोड़, <sup>2</sup> ₹ 35.36 करोड़ <sup>3</sup> ₹ 9.20 करोड़ <sup>4</sup> ₹ 53.00 करोड़, <sup>5</sup> ₹ 89.76 करोड़, एवं शेष वर्ष के अंत तक अनापूर्ति।

आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण पिछले वर्षों से संबंधित <sup>1</sup> ₹ 25.00 करोड़, <sup>4</sup> ₹ 0.62 करोड़, <sup>5</sup> ₹ 15.00 करोड़, <sup>6</sup> ₹ 10.00 करोड़, <sup>7</sup> ₹ 29.86 करोड़ की कमी हुई।

## 12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का ब्योरेवार विवरण

(करोड़ ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
1	2	3	4
<b>ऋण तथा अग्रिम -</b>			
<b>विभिन्न सेवाओं हेतु ऋण तथा अग्रिम</b>			
विविध सामान्य सेवाएँ	19.47	...	19.47
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	35.81	77.90
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,195.88	243.47	1,439.35
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	...	503.16
ऊर्जा	582.55	373.17	955.72
उद्योग और खनिज	(-)0.18	...	(-)0.18
परिवहन	236.10	1.61	237.71
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(-)19.83	0.26	(-)19.57
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	3.65	...	3.65
<b>योग - ऋण तथा अग्रिम</b>	<b>2,562.89</b>	<b>654.32</b>	<b>3,217.21</b>
आकस्मिकता निधि में विनियोग	...	...	...
<b>योग - पूँजीगत तथा अन्य व्यय</b>	<b>93,678.67</b>	<b>11,894.48</b>	<b>1,06,073.15</b>
<b>घटाइये -</b>			
(i) आकस्मिकता निधि से अंशदान	80.48	134.66	215.14
(ii) विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	327.77	...	327.77
(iii) विकास निधियों, संचय निधियों इत्यादि से अंशदान		...	
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि		...	
<b>निवल -पूँजीगत तथा अन्य व्यय -</b>	<b>93,270.42</b>	<b>11,759.82</b>	<b>1,05,030.24</b>

## 12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का ब्योरेवार विवरण

(करोड़ ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
1	2	3	4
<b>निधियों के मुख्य स्रोत -</b>			
<b>ऋण</b>			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	57,378.79	8,176.99	65,555.78
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	8,941.80 <sup>1</sup>	2,537.38	11,479.18
लघु बचत, भविष्य निधियां इत्यादि	9,671.23	289.43	9,960.66
<b>योग - ऋण</b>	<b>75,991.82</b>	<b>11,003.80</b>	<b>86,995.62</b>
<b>अन्य प्राप्तियाँ</b>			
आकस्मिकता निधि	191.19	(-)1.32	189.87
आरक्षित निधियां	5,738.12	(-)433.63	5,304.49
जमा	4,463.33	171.22	4,634.54
	<b>8,770.30</b>		<b>8770.30<sup>2</sup></b>
सिविल अग्रिम	(-)0.42	...	(-)0.42
	<b>(-)11.48</b>		<b>(-)11.48<sup>2</sup></b>
उच्चत और विविध (रोकड़ शेष निवेश लेखा एवं सरकारी लेखे में संवृत की गयी राशि के अतिरिक्त)	72.47	(-)3.39	69.08
प्रेषण	85.74	16.53	102.27
<b>योग - अन्य प्राप्तियाँ</b>	<b>10,550.43</b>	<b>(-)250.59</b>	<b>10,299.84</b>
	<b>8,758.82</b>		<b>8758.82<sup>2</sup></b>
<b>योग - ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ</b>	<b>86,542.25</b>	<b>10,753.21</b>	<b>97,295.46</b>
	<b>8,758.82</b>		<b>8758.82<sup>2</sup></b>
<b>घटाइये -</b>			
(i) रोकड़ शेष	(-)102.34	101.15	(-)1.19
(ii) निवेश <sup>3</sup>	1,918.62	350.00	2,268.62
<b>योग</b>	<b>84,725.97</b>	<b>10,302.06</b>	<b>95,028.03</b>
	<b>8,758.82</b>		<b>8758.82<sup>2</sup></b>

<sup>1</sup>केंद्र सरकार द्वारा लगातार ऋणों की अदायगी के कारण प्रोफोर्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष ₹ 1,640.15 करोड़ कम हो गया | पूर्व अवधि समायोजन का विस्तृत विवरण पृष्ठ 44 पर दिया गया है |

<sup>2</sup>यह आँकड़े उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य अनाबंटित शेष राशि को प्रदर्शित करते हैं |

<sup>3</sup>इसमें आरक्षित निधियों एवं रोकड़ शेष से किये गए निवेश सम्मिलित हैं |

**12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का ब्योरेवार विवरण**

(करोड़ ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024-25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
1	2	3	4
घटाइये : राजस्व घाटा / जोड़िये: राजस्व आधिक्य		1,457.76	
जोड़िये - सरकारी लेखे में संवृत की गई राशि		...	
घटाइये: अंतर्राज्यीय समायोजन			
<b>निवल - निधियों का प्रावधान-</b>		<b>11,759.82</b>	
प्रगामी निवल पूंजीगत एवं अन्य व्यय		1,05,030.24	
निधि के प्रगामी प्रमुख स्रोत		1,03,786.85	
<b>अंतर</b>		<b>1,243.39<sup>1</sup></b>	
₹ 1,243.39 के अंतर की व्याख्या निम्न है-			
31 मार्च 2025 तक संचयी राजस्व घाटा/आधिक्य		8,719.80	
31 मार्च 2025 तक उत्तराखंड को आवंटित निवल प्रारंभिक शेष राशि		(-)3,185.91	
31 मार्च 2025 तक संचयी अंतर्राज्यीय समायोजन		2,793.05	
निधियों के स्रोतों एवं निधियों के उपयोगों में अंतर (31 मार्च 2025 तक अनावंटित)		(-)8,758.82	
आकस्मिकता निधि में विनियोग		(-)500.00	
सरकारी लेखों में संवृत की गई राशि		(-)204.94	
वर्ष 2013-14 में रोकड़ शेष में प्रोफोर्मा सुधार		740.00	
वर्ष 2024-25 में रोकड़ शेष में प्रोफोर्मा सुधार		1,640.15	
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि		0.06	
<b>योग</b>		<b>1,243.39</b>	

<sup>1</sup>विवरण संख्या 1 से भिन्नता ₹ (-) 327.77 करोड़ के विविध पूंजीगत प्राप्ति से योगदान एवं (+) 0.04 करोड़ के पूर्णांकन के कारण है।

**13. शेषों का सार**  
(समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

अ. 31 मार्च 2025 को शेषों का सारांश निम्नवत है-

नामे शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
		<b>समेकित निधि</b>	
91,810.84	क,ख,ग,घ,छ,ज तथा ठ के भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ड-	लोक ऋण	77,034.97
3,217.20	च	ऋण तथा अग्रिम	
		<b>आकस्मिकता निधि</b>	
		आकस्मिकता निधि	189.87
		<b>लोक लेखा</b>	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,960.66
		<b>आरक्षित निधि</b>	
		(i) आरक्षित निधि ब्याज सहित-	2,953.72
		(ii) आरक्षित निधि ब्याज रहित-	2,350.77
2,268.62		निवेश	
		<b>जमा एवं अग्रिम</b>	
	ट	(i) जमा ब्याज सहित-	476.46
		(ii) जमा ब्याज रहित-	4,158.08
0.42		(iii) अग्रिम	
		<b>उच्चत एवं विविध</b>	
32.81	ठ	(i) उच्चत-	
		(ii) अन्य लेखे-	104.17
		(iii) निवेश	...
		(iv) अन्य मद (शुद्ध)	
2.28		(v) विदेशों की सरकारों के साथ लेखे	
	ड	<b>प्रेषण</b>	102.27
	ढ	<b>रोकड़ शेष</b>	1.19
		पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	0.01
<b>97,332.17</b>		<b>योग</b>	<b>97,332.17</b>

### 13. शेषों का सार (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

ब. सरकारी लेखे: सरकारी लेखे में अनुसरित बही खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन-देन जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाए जाते एक ही शीर्ष में संवरित किये जाते हैं जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है | इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है |

इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा और अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अलावा), प्रेषण और आकस्मिक निधि, आदि के तहत शेष राशि को जोड़ा जाता है और वर्ष के अंत में अंतिम नकद शेष राशि की गणना की जाती है और साबित की जाती है। सारांश में अन्य शीर्षक सरकारी पुस्तकों में सभी लेखा शीर्षों के तहत शेष राशि जिनके संबंध में सरकार को प्राप्त धन को चुकाने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा है और साथ ही खातों में खोले गए खातों के शीर्ष प्रेषण लेनदेन का समायोजन होना है, को ध्यान में रखते हैं ।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को उत्तराखंड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है क्योंकि इनके अंतर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक सम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है |

**13. शेषों का सार**  
(समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

स. वर्ष के अंत तक सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि की गणना निम्न प्रकार से की गयी है:-

नामे (₹ करोड़ में)	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
83,803.24	क. 1 अप्रैल 2024 को सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	51,473.34
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	...
50,015.58	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
11,105.50	ड. व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च. बैंक टू बैंक ऋण के प्रोफार्मा सुधार के कारण समायोजन <sup>1</sup>	1,640.15
...	छ. आकस्मिकता निधि को हस्तांतरित	
...	ज. उच्चंत तथा विविध (विविध सरकारी लेखे)	
	झ. 31 मार्च 2025 को सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि	91,810.84
0.01	पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	
<b>1,44,924.33</b>	<b>योग</b>	<b>1,44,924.33</b>

- (i) कई प्रकरणों में, विवरण सं० 2 व 21 आदि में 'प्राप्ति संवितरण आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा' से सम्बंधित प्रतिवेदित अंतिम शेषों एवं इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षित रजिस्ट्रों एवं अन्य अभिलेखों के शेषों में असमाधानित अंतर हैं | इन भिन्नताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं |
- (ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है | बहुत से प्रकरणों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं |
- (iii) प्रकरण जिनमें शेषों को स्वीकार करने में विलम्ब हुआ है तथा जिनकी धनराशि अधिक है, उन्हें परिशिष्ट -VII (1) में दिखाया गया है |
- (iv) प्रकरण जहां विवरण / दस्तावेज अभी तक शेषों का मिलान हेतु वांछित है, उन्हें परिशिष्ट VII (2) में दर्शाया गया है |

<sup>1</sup> मुख्य शीर्ष 6004-09-101- ब्लॉक ऋण (जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले राज्य को बैंक टू बैंक ऋण) के अंतर्गत प्रोफार्मा सुधार ।

## विवरण संख्या 13 का अनुलग्नक

IGAS- 4 के अनुपालन में पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्र०स०	सुधार का प्रकार	लेखा शीर्ष (प्रभावित दोनों लेखा शीर्षों का मुख्य, लघु शीर्षवार विवरण )	स्थानांतरण (01.04.2024 को प्रारंभिक शेष)	पूर्व अवधि समायोजन का वर्ष	सुधार की राशि	सुधार का कारण	सुधार के बाद 01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	टिप्पणियाँ यदि कोई हो
1	प्रोफार्मा सुधार (महालेखाकार के लिए लेखा संहिता के पैरा 7.13)	6004-09-101	5,649.03	2023-24	1,640.15	भारत के लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी मुआवजे के बदले में बैक टू बैक ऋण का पुनर्भुगतान	4,008.88	चूंकि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को बैक टू बैक ऋण नहीं चुकाया जाता था। इसका प्रभाव 31 मार्च 2025 तक के सरकारी खातों की गणना में विवरण 13 में परिलक्षित हुआ है।

## वर्ष 2024-2025 हेतु वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ

### 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश:

#### (i) रिपोर्टिंग इकाइयाँ:

ये लेखे उत्तराखंड सरकार के लेन-देन को दर्शाते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्राप्ति और व्ययों के लेखों को 20 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाहों के आधार पर संकलित किया गया है। अप्रैल 2019 में आईएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद से, 252 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों-108 लोक निर्माण प्रभागों (87 भवन और सड़क, 21 ग्रामीण कार्य प्रभाग), 57 वन प्रभाग (46 वन और 11 जलागम), 87 सिंचाई/जल संसाधन प्रभागों के लेखों को संबंधित कोषागारों के माध्यम से भेजा जा रहा है। वर्ष के अंत में कोई भी लेखा अपवर्जित नहीं किया गया है।

#### (ii) लेखांकन अवधि:

इन लेखों की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है।

#### (iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

उत्तराखंड सरकार के लेखे भारतीय रुपए (₹) में प्रदर्शित किए जाते हैं।

#### (iv) लेखों का स्वरूप:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाते हैं जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का एक व्यापक तात्पर्य है जिसमें न केवल लेखे रखे जाने का विस्तृत स्वरूप बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षों का चुनाव, जिससे लेखों का चार्ट बनता है, भी शामिल है।

#### (v) बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का एक विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट कहा जाता है), अनुदानों / विनियोगों के रूप में विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को बिना वसूलियों एवं प्राप्ति के, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित करने की अनुमति है, सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बजट और खातों के शीर्षों से संबंधित वे सभी अनुदान / विनियोग जिनकी शेष राशि को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं।

**बजट एवं लेखे:** राज्य के बजट और लेखे दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के नकद आधार और वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। खातों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। लघु शीर्ष स्तर के नीचे वर्गीकरण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान की गयी सहमति के अनुसार है।

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक संवितरण प्रदर्शित करता है। विनियोग लेखे सकल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्त खातों में शुद्ध आंकड़े को मिलान हेतु विनियोग खातों में एक समाधान विवरण शामिल किया जाता है।

**नकद आधार:** अपवाद स्वरूप कुछ अधिकृत पुस्तकीय समायोजनों को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखों में प्राप्तियों और संवितरणों को वसूलियां, कटौतियां और प्रतिदाय को घटाकर निवल आधार पर प्रदर्शित किया जाता है।

**पुस्तक समायोजन:** पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेन-देन हैं जो खातों में समायोजन / निपटान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन यथा वेतन से कटौती और वसूली कर राजस्व प्राप्तियों / ऋणों / लोक लेखे में समायोजन, समेकित निधि और लोक लेखे के बीच धन के हस्तांतरण के लिए 'शून्य' बिल आदि, खाता प्रेषित करने वाली इकाइयों यथा कोषागारों, प्रभागों आदि के स्तर पर होते हैं।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी पुस्तक समायोजन किया जाता है। इनमें, अन्य बातों के अलावा, समेकित निधि (जैसे, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, ऋण शोधन निधि, आदि) को डेबिट करके लोक लेखा में निधियों के सृजन और योगदान के लिए बुकिंग, समेकित निधि को डेबिट करके लोक लेखा में आरक्षित निधि/खातों के जमा शीर्षों को जमा करना; मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को डेबिट करके और लोक लेखा में प्रासंगिक मुख्य शीर्षों को जमा करके सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी को समायोजित करना, आकस्मिकता निधि की वसूली, आदि सम्मिलित है।

**राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण:** स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्तियों (सरकारी प्रतिष्ठान में उपयोग के लिए और सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिए नहीं) को प्राप्त करने या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और संचालन व्यय पर बाद के शुल्क, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही प्रतिष्ठान के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय और प्रशासनिक व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत और राजस्व व्यय को खातों में अलग-

अलग दिखाया जाता है।

**भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं:** भौतिक एवं वित्तीय सम्पत्तियों (जैसे निवेश, सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम आदि) साथ ही देयताओं (जैसे ऋण आदि) को परम्परागत लागत अर्थात् अधिग्रहण/ क्रय वर्ष में कीमत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास नहीं किया गया है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक सम्पत्तियों की समय सीमा समाप्ति पर भी इनकी हानियों को मूल्यांकित नहीं किया जाता।

**अनुदान सहायता:** भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण, के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही इसमें अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा संपत्ति का निर्माण शामिल हो। प्राप्त हुए सभी अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवरण वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**ऋण एवं अग्रिम:** आई.जी.ए.एस. 3 - सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण वित्त खातों के विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2025 तक विवरण में दर्शाए गए अंतिम शेष, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।

**पूर्व अवधि समायोजन:** आई.जी.ए.एस. 4 - पूर्व अवधि समायोजन के अनुपालन में, राज्य सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है और ऐसी जानकारी को प्रदर्शित करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित है और सरकारी निर्णयों में परिवर्तनों से उत्पन्न पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को समाहित करता है, जो पिछले वर्षों के दौरान चालू शेष और प्रगतिशील राशियों को प्रभावित कर सकता है जिनके लिए लेखे बंद कर दिए गए हैं।

**सेवानिवृत्ति लाभ:** रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पे-एज-यू-गो आधार पर वितरित सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भावी पेंशन देयता, अर्थात् अपने कर्मचारियों की पिछली और वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के प्रति देयता को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

**(vi) पूर्णांकित करना:**

विवरणों में प्रदर्शित आकड़ें, जिन्हें ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है, जैसा कि संबंधित विवरण के

शीर्ष पर दर्शाया गया है। विभिन्न विवरणों में पूर्ण आंकड़ों एवं पूर्णांकित आंकड़ों में जहां भी अंतर होता है, वह आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण है।

**(vii) रोकड़ शेष:**

लेखों में दर्ज रोकड़ शेष की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के खाते में उस वर्ष में 31 मार्च के अंत में शेष राशि है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुड़े नकद लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते हैं। वित्त लेखों में दर्ज नकद शेष भारतीय रिज़र्व बैंक के दस्तावेजों से मिलान के अधीन है।

**(viii) प्रतिबद्ध एवं आकस्मिक देयताओं पर प्रकटीकरण:**

**आई.जी.ए.एस. 1: 'सरकारों द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ'** राज्य सरकार द्वारा बजट दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 में प्रत्याभूतियों का क्षेत्र-वार विवरण दर्शाया गया है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और न तो प्रतिबद्धताओं को दर्ज किया जाता है और न ही प्रतिबद्धता के विरुद्ध देयता को खातों में मान्यता दी जाती है। हालांकि, वित्त लेखे के परिशिष्ट XII में राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों के खुलासे का प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों का ब्यौरा देने में विफल रही।

**(ix) पास-श्रू लेनदेन:**

राज्य द्वारा एकत्रित, प्राप्तियों की प्रकृति के 'पास-श्रू लेन-देन', जिन्हें अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है, का खुलासा वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ में किया जाता है। इसमें राज्य कैम्पा कोष में वर्ष के संग्रह के 10 प्रतिशत का वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में हस्तांतरण, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को हस्तांतरित करना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से को एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित करना, लोक लेखा में निर्दिष्ट प्रमुख शीर्ष से एन.पी.एस. अंशदान को निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित करना आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

**2. लेखांकन ढांचे का अनुपालन:**

**(i) मासिक लेखे बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज करना:**

मौजूदा प्रथा के अनुसार, राज्य द्वारा लेखाबंदी एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को लेखे प्रेषण के उपरान्त लेखों को किसी भी बदलाव के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे मासिक लेखे सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं होंगे। मासिक लेखाबंदी के बाद कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करने से, महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार (उत्तराखंड) के बीच आंकड़ों/डेटा में भिन्नता की सम्भावना हो सकती है। कोषागारों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के बाद लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से भेजा जा रहा है

और लेखा प्रेषण के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि कोषागार स्तर पर खातों में सुधार की आवश्यकता होती है, तो कोषागार केवल महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की अनुमति के बाद ही लेखे खोल सकता है।

(ii) **अनधिकृत लेखाशीर्षों का संचालन:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 08 अनधिकृत प्रमुख / उप-प्रमुख / लघु शीर्षों (एल.एम.एम.एच. के अनुसार संचालित नहीं होने वाले शीर्ष) के अंतर्गत बजट प्रावधान किया; राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 07 (राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत 06 और राजस्व व्यय के अंतर्गत 01), पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 01 (राजस्व और पूंजीगत दोनों के अंतर्गत कुल 08)। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 0.95 करोड़ प्राप्त हुए तथा ₹ 23.32 करोड़ की धनराशि वापस की और इन मदों के अंतर्गत राजस्व अनुभाग में ₹ 4.43 करोड़ का व्यय तथा पूंजी अनुभाग में ₹ 4.43 करोड़ का व्यय हुआ।

(iii) **बिना सलाह के नये उपशीर्षक/विस्तृत लेखाशीर्षक का प्रयोग करना:**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के खातों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रखा जाना चाहिए। वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने बजट में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से बगैर सलाह लिए या सूचित किए बिना 77 नए उपशीर्ष (राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 47 और पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 30) संचालित किये। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान किया तथा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 117.34 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 438.83 करोड़ खर्च किए।

(iv) **गलत वर्गीकरण:**

प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत गलत बजट प्रावधान एवं व्यय का पुस्तांकन:

(क) **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ):** एसडीआरएफ के अंतर्गत व्यय, व्यय की प्रकृति के अनुसार, मुख्य लेखाशीर्ष 2245 – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अंतर्गत उप-मुख्यशीर्ष 01, 02, 03, 04, 06 एवं 07 के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान एवं व्यय मुख्य लेखाशीर्ष 2245 के अंतर्गत उपयुक्त उप-मुख्यशीर्ष के स्थान पर उप-मुख्यशीर्ष 05 के तहत किया गया। उप मुख्य शीर्ष 05 का उद्देश्य एसडीआरएफ में निधियों के हस्तांतरण (05-101) एवं एसडीआरएफ से व्यय का वहन (05-901) है। गलत वर्गीकरण के कारण, एसडीआरएफ के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

(ख) **राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ):** इसी प्रकार, एसडीएमएफ के अंतर्गत व्यय, व्यय की प्रकृति के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा संचालित निर्धारित उप-शीर्ष (मुख्य लेखाशीर्ष 2245-08-101 के अंतर्गत) में किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने बजट प्रावधान किया तथा व्यय को उपयुक्त उप-शीर्ष के स्थान पर मुख्य लेखाशीर्ष 2245 के अंतर्गत उप-मुख्यशीर्ष 08 में किया।

राज्य सरकार ने एसडीएमएफ में मुख्य लेखाशीर्ष 2245-08-797 के अंतर्गत निधियों का अंतरण किया तथा एसडीएमएफ से मुख्य लेखाशीर्ष 2245-08-901 के अंतर्गत व्यय किया। गलत वर्गीकरण के कारण एसडीएमएफ के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मामले को राज्य सरकार के साथ वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन हेतु उठाया गया है।

### 3. समेकित निधि:

#### (i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य जी.एस.टी. संग्रह वर्ष 2023-24 में संग्रहित ₹ 8,297.06 करोड़ में ₹ 967.05 करोड़ (11.66 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ ₹ 9,264.11 करोड़ था। इसमें समेकित वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आबंटन के अंतर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग ₹ 4,202.01 करोड़ प्राप्त किया। जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 13,466.12 करोड़ थीं। राज्य को वर्ष 2024-25 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 55.82 करोड़ की गैर ऋण प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त, राज्य को वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले केंद्र सरकार से कोई भी क्षतिपूर्ति राशि बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त नहीं हुई (31 मार्च 2025 तक कुल ऋण ₹ 4,008.88<sup>1</sup> करोड़)। यह राशि राज्य की उधार सीमा से संबंधित वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आर.बी.आई. के आंकड़ों और वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर के कारण राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) की कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई। अतः समायोजन के कारण वर्ष 2024-25 में एस.जी.एस.टी. में कोई वृद्धि / कमी नहीं हुई है।

*संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में उपलब्ध हैं।*

<sup>1</sup> प्रोफोर्मा सुधार के कारण पिछले वर्ष के अंतिम शेष ₹ 5,649.03 से ₹ 1,640.15 की भिन्नता है।

**(ii) राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने गलत तरीके से बजट प्रावधान किया और व्यय के उद्देश्य से निर्धारण के अनुसार, राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 904.93 करोड़ रुपये व्यय दर्ज किया। राज्य के राजस्व / पूंजीगत व्यय पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 6 में दिया गया है। राजस्व व्यय को ₹ 909.31 करोड़ रुपये कम करके आंका गया है (पूंजीगत के अंतर्गत जीआईए के लिए ₹ 904.93 करोड़ और विभिन्न पूंजीगत लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4.38<sup>2</sup> करोड़) तथा पूंजीगत व्यय को ₹ 909.31 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है।

*इसमें वित्त लेखे के विवरण 4, 5, 15 और 16 के आंकड़ों का संदर्भ है।*

**(iii) मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०) के बीच राज्य द्वारा प्राप्तियों, व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का मिलान:**

सभी नियंत्रक अधिकारियों को (उत्तराखंड के बजट मैनुअल के नियम 109 के अनुसार) सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 49,491.04 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 51,473.34 करोड़ का 96.15 प्रतिशत) और राजस्व व्यय ₹ 46,823.40 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹ 50,015.58 करोड़ का 93.62 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय ₹ 10,403.73 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय ₹ 11,105.50 करोड़ का 93.68 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों की राशि (₹ 691 करोड़) का मिलान नहीं किया गया।

तुलनात्मक रूप से, विगत वर्ष 2023-24 में, राजस्व प्राप्तियां ₹ 48,128.07 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 50,615.01 करोड़ का 95.09 प्रतिशत) एवं राजस्व व्यय ₹ 42,191.72 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹ 47,273.96 करोड़ का 89.25 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय की राशि ₹ 8,488.55 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय ₹ 10,981.80 करोड़ का 77.30 प्रतिशत) का मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की राशि ₹ 109.00 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण एवं अग्रिम ₹ 124.09 करोड़ का 87.84 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

**(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत पुस्तांकन:**

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय / 800-अन्य प्राप्तियाँ केवल तभी संचालित की जानी चाहिए जब लेखों में उचित लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अस्पष्ट बना देता है।

<sup>2</sup> 10 कोषागारों के पूंजीगत वाउचर की जांच के आधार पर; नमूना कुल वाउचर का 20% था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 30 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,738.62 करोड़, जो कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय (₹ 61,121.08 करोड़)<sup>3</sup> का 4.48 प्रतिशत है, को लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान, 29 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,874.32 करोड़ रुपये, जो कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय (₹ 58,255.75 करोड़) का 4.93 प्रतिशत है, को लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश के मद में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत ₹ 140 करोड़ का व्यय भी पुस्तांकित किया।

इसी प्रकार, 48 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,699.85<sup>4</sup>, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 51,473.34 करोड़) का 3.30 प्रतिशत है, को लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान, 47 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,339.13, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 50,615.01 करोड़) का 2.65 प्रतिशत है, को लेखाओं में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, महालेखाकार ने लघु शीर्ष 800 के स्थान पर अन्य उपलब्ध लघु शीर्षों को पहचान कर राज्य सरकार को सूचित किया है।

*इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 14, 15 और 16 से है।*

**(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) / व्यक्तिगत खाता बही (पी.एल.ए.) खातों में धन का स्थानांतरण:**

व्यक्तिगत जमा खाते, नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, व्यक्तिगत जमा खातों के मिलान के समय राज्य के लोक लेखा से ₹ (-)0.01 करोड़ रुपये व्यक्तिगत जमा खातों में समायोजित किए गए। मार्च 2025 में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई।

वित्तीय पुस्तिका खंड-5 भाग-1, पैरा 340(बी)(ii) के अनुसार तथा व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की शर्तों के अधीन, समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अथवा समापन की निर्धारित अवधि के पश्चात संबंधित लेखा शीर्षों में, जिसे धनराशि अंतरित की गई है, समेकित निधि में वापस पुस्तांकित किया जाना अपेक्षित है।

पत्र संख्या 1/88670/XXVII(10)/2023-21/2015 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी व्यक्तिगत जमा खाते वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बंद कर दिए गए हैं।

<sup>3</sup> इसमें 'ऋण और अग्रिम' और 'लोक ऋण का पुनर्भुगतान' शामिल नहीं है।

<sup>4</sup> इस राशि में वर्ष के दौरान प्राप्त पेंशन बटवारे से संबंधित 1,140.97 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

31 मार्च 2025 को व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न प्रकार है:

1 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष		वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2024-25 के दौरान निकासी		31 मार्च 2025 तक समापन शेष	
प्रशासकों/ खातों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रशासकों / खातों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रशासकों / खातों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रशासकों / खातों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
0.00	2.48 (नामे)	00	0.01 (नामे)	शून्य	शून्य	00	2.49 <sup>5</sup> (नामे)

संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

**(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल:**

केंद्रीय कोषागार नियमावली के नियम 290 में यह प्रावधान है कि सरकारी कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि उसका तत्काल भुगतान आवश्यक न हो। आपातकालीन परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए अधिकृत हैं। उत्तराखंड वित्तीय पुस्तिका, खंड-5 भाग-I, 2008 के अनुसार डी.डी.ओ. को उस उद्देश्य के पूरा होने की तिथि से एक महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.सी.) बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसके लिए अग्रिम राशि निकाली गई थी।

उत्तराखंड वित्तीय पुस्तिका, खंड-5 भाग-I, 2008 की आवश्यकता के अनुसार दिनांक 28.02.2025 तक ₹ 13.17 करोड़ रुपये के 186 ए.सी. बिल (2023-24 तक सम्मिलित), डी.सी.सी. बिलों के लिए देय थे। वर्ष 2024-25 के दौरान आहरित ₹ 43.38 करोड़ के 399 सार आकस्मिक बिलों में से ₹ 24.03 करोड़ (55.39 प्रतिशत) के 29 आकस्मिक बिल मार्च 2025 में आहरित किए गए। 31 मार्च 2025 तक ₹ 1.20 करोड़ के 16 सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं हुए। विस्तृत बिल प्रस्तुत ना होने से असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

<sup>5</sup> शेष राशियों का मिलान किया जा रहा है।

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों / ई-अग्रिम / अस्थायी अग्रिम की संख्या	धनराशी (₹ करोड़ में)
2023-24 तक	04	0.80
2024-25	12	0.40
<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>1.20</b>
<b>वर्ष 2024-25</b>	समायोजन की नियत तिथि से पहले कोई एसी बिल समायोजित नहीं किया गया	

**(vii) सहायता अनुदान के लिए अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.):**

उत्तराखण्ड वित्तीय पुस्तिका, खंड-5, भाग-I, (369-डी) उत्तराखण्ड 2008 के अनुसार, सशर्त सहायता अनुदान के संबंध में और/या अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा अनुदान प्राप्ति की तिथि से 12 महीने के भीतर या उसी उद्देश्य के लिए आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, यह जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुँची होगी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 3,410.64 करोड़ रुपये के 432 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए देय थे। इनमें से, ₹ 2,140.92 करोड़ रुपये के 310 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का निपटान किया गया। 31 मार्च 2025 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष <sup>6</sup>	बकाया UC की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
2023-24 तक	11	196.54
2024-25	111	1073.18
<b>कुल</b>	<b>122</b>	<b>1,269.72*</b>
<b>वर्ष 2024-25</b>	जमा करने की नियत तिथि से पहले कोई UC जमा नहीं किया गया	

इसका संदर्भ वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III से है।

\*₹ 1,269.72 करोड़ की बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को जारी अनुदानों के सम्बन्ध में 81 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों से सम्बंधित ₹ 418.28 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

<sup>6</sup> ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद।

**(viii) ब्याज समायोजन:**

सरकार श्रेणी ज-आरक्षित निधि (क. ब्याज वाली आरक्षित निधि) और ट-जमा और अग्रिम (क. ब्याज वाली जमा) के अंतर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान / समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस प्रयोजन के लिए, मुख्य और लघु खाता शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा इन निधियों/जमाओं और भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

फंड / जमा	1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान किया	कम भुगतान किया गया ब्याज
एस.डी.आर. एफ.	720.67	यह राज्य या एसडीआरएफ दिशानिर्देशों द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान में, यह औसत अर्थोपाय अग्रिम दर से 2% अधिक लिया जाता है। 6.46% (डब्लू.एम.ए.)+2%=8.46%	74.69	74.40	0.29
एस.डी.एम. एफ.	21.48	एसडीआरएफ के समान (8.46%)	1.71	1.70	0.01
		<b>कुल</b>	<b>76.40</b>	76.10	0.30

₹ 0.30 करोड़ की ब्याज राशि का अल्प भुगतान करने के कारण राजस्व व्यय में ₹ 0.30 करोड़ की कमी दर्शाई गई है। इसमें वित्त लेखों के विवरण 15, 21 और 22 के आंकड़ों का संदर्भ दिया गया है।

**(ix) सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ:**

उत्तराखंड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 (एक) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर, वर्ष के दौरान (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित राशि ₹ 146.62 करोड़ रुपए थी एवं 01 अप्रैल 2024 तक बकाया प्रत्याभूति ₹ 155.79 करोड़ रुपये थी | ये बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2024-25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,78,244.52 करोड़) का 0.04 प्रतिशत है एवं निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

राज्य सरकार उत्तराखंड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 के माध्यम से प्रत्याभूतित ऋण की राशि का 1% प्रत्याभूति शुल्क वसूल करेगी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 24.91 करोड़ (प्राप्य राशि) में से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे के विवरण 9, 14 और 20 में उपलब्ध हैं।

**(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय:**

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 2406-वानिकी और वन्य जीव एवं 3435- पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत बजट आवंटन ₹ 1,013.61 करोड़ के सापेक्ष ₹ 330.68 करोड़ व्यय किये। विगत वर्ष 2023-24 के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने मुख्य लेखाशीर्ष 2406 एवं 3435 के अंतर्गत बजट आवंटन ₹ 1,167.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 769.34 करोड़ व्यय किये थे।

यह वित्त खातों के विवरण 15 और 16 के संदर्भ में है।

**(xi) अप्रत्याशित / असाधारण घटनाओं / आपदा से संबंधित व्यय:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित / असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹ 2,153.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 418.60 करोड़ रुपये) व्यय किये गए ₹ 2,153<sup>7</sup> करोड़ रुपये का खर्च SDRF/SDMF से पूरा किया गया।

राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से ₹ 1,085.00<sup>8</sup> करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,131.40 करोड़) सहायता अनुदान / केन्द्रीय सहायता आदि के रूप में प्राप्त हुए, जिसका लेखांकन मुख्य लेखा शीर्ष-1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के अंतर्गत किया गया है।

इसका संदर्भ वित्त लेखे के विवरण 2, 4, 5, 14, 15 और 16 से है।

**(xii) केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खातों में डालना:** तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में भारत के वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2012 में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए अग्रिमों को छोड़कर) 31 मार्च 2010 तक केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना हेतु राज्य सरकार को दिए गये ऋणों को बट्टे खातों में डाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किये गये मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी। उत्तराखण्ड सरकार ने 31 मार्च 2025 तक ₹ 14.13 करोड़ (₹ 5.75 करोड़ मूलधन, ₹ 8.38 करोड़ ब्याज) की अधिक चुकौती की थी जिसमें से वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक ₹ 11.13 करोड़ समायोजित किये जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।

यह वित्त खातों के विवरण 17 का संदर्भ है।

<sup>7</sup> इसमें एसडीआरएफ समायोजन के 1,682.40 करोड़ रुपये और एसडीएमएफ समायोजन के 470.60 करोड़ रुपये शामिल हैं।

<sup>8</sup> इसमें एसडीआरएफ के लिए 868 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान और एसडीएमएफ के लिए जीआईए के सहायता अनुदान करोड़ रुपये शामिल हैं।

**(xiii) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण:**

31 मार्च 2025 तक 02 विभागों (02 ऋणदाता संस्थाओं) से संबंधित ₹ 42.09 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन की वसूली प्रभावित नहीं हुई है, जिसमें वर्ष 2001 से लंबित ऋण भी शामिल हैं।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं को प्रदान किए गए ₹ 2,729.97 करोड़ (वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदत्त ₹ 691.00 करोड़ के ऋण सम्मिलित हैं) की राशि के लिए ऋण चुकौती की शर्तें तय नहीं की गई हैं। (विस्तृत विवरण वित्त लेखों के विवरण 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं)। परिणामस्वरूप, इस खाते पर राज्य सरकार की प्राप्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से ऋणों (जहां महालेखाकार द्वारा विस्तृत खाते बनाए रखे जाते हैं) को सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। बारह ऋण प्राप्तकर्ताओं<sup>9</sup> में से किसी भी संस्था ने ऋणों की राशि की पुष्टि नहीं की है। ऋणों की राशि के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित जानकारी का विवरण वित्त लेखा के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

*यह वित्त खातों के विवरण 7 और 18 के संदर्भ में है।*

**(xiv) प्रतिबद्ध देयताएं:**

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने उपार्जन आधार पर लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए कार्यवाही शुरू की है। हालांकि, यह परिवर्तन चरणों में होगा, इसलिए लेखांकन की उपार्जन-आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं के बारे में जानकारी देनी होगी। हालांकि, राज्य सरकार ने वित्त लेखों के परिशिष्ट-XII में प्रतिबद्ध देयताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

**(xv) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर व्यय:** वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2025 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज कुल व्यय ₹ 7,086.54 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 3,882.64 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 3,203.90 करोड़), जिसमें केन्द्र का हिस्सा ₹ 6,186.20<sup>10</sup> करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 900.34<sup>11</sup> सम्मिलित है।

<sup>9</sup> बारह ऋणी संस्थाएं हैं 1. शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बाजपुर, (यूएस नगर), 2. किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, नादेही (यूएस नगर), 3. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा (यूएस नगर), 4. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड डोईवाला, देहरादून, 5. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, 6. उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, हल्द्वानी, 7. उत्तराखंड हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड काशीपुर, 8. राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, देहरादून, 9. उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 10. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, 11. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, 12. उत्तराखंड परिवहन निगम।

<sup>10</sup> इसमें सीएसएस के लिए 3,204.31 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 2,981.89 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय शामिल है। इन दोनों आंकड़ों में 1,586.42 करोड़ रुपये (राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत क्रमशः 392.26 करोड़ रुपये और 1,194.16 करोड़ रुपये) का ईएपी (EAP) शामिल है।

<sup>11</sup> इसमें राज्यांश के राजस्व व्यय के अंतर्गत ₹ 678.33 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत ₹ 222.01 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यह वित्त खातों के विवरण 15 और 16 के संदर्भ में है।

**(xvi) केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों / लाभार्थियों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण:**

सी.जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य में लाभार्थियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों (एन.जी.ओ., केंद्र सरकार के संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी/ग्रामीण निकाय, लाभार्थी, आदि) को सीधे ₹ 3,511.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2023-24 की तुलना में 14.93 प्रतिशत कम हुआ है (वर्ष 2023-24 में ₹ 4,127.98 करोड़ रुपये से वर्ष 2024-25 में ₹ 3511.84 करोड़ रुपये)।

विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में है।

**(xvii) राज्य सरकार की बजट से इतर देयताएं, अंतर्निहित / अस्पष्ट सब्सिडी और नीतिगत निहितार्थों के कारण राजकोषीय बोझ:**

बजट से इतर उधार सरकार का दायित्व है, क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान अनिवार्यतः सरकारी बजट के माध्यम से किया जाता है, जो राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में बजट से इतर देनदारियों का खुलासा नहीं किया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बजट से इतर देयता, अंतर्निहित उपादान और डिस्काम के अंतर्गत उपादान नहीं दिया गया।

**(xviii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को निधियों का हस्तांतरण:**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के तहत धनराशि जारी करने और एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के माध्यम से जारी की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक सी.एस.एस. के लिए, एस.एन.ए. को अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 फरवरी 2023 के पत्र के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय अंश के साथ-साथ राज्य के अनुपातिक अंश को भी केंद्रीय अंश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एस.एन.ए. खाते में स्थानांतरित करना होगा। एस.एन.ए. खाते में केंद्रीय अंश के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर, राज्य सरकार को 01-04-2023 से 7% प्रति वर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

पी.एफ.एम.एस. की एस.एन.ए. -01 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कोषागार खातों में ₹ 3,917.47 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश के रूप में प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2025 तक सरकार ने ₹ 3,357.58 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का हिस्सा, ₹ 564.40 करोड़ रुपये का राज्य सरकार का हिस्सा और ₹ 328.57 करोड़ रुपये की टॉप अप राशि एस.एन.ए.

को हस्तांतरित की। सम्पूर्ण राशि ₹ 4,250.55 करोड़ रुपये का हस्तांतरण पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया। एस.एन.ए. से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक अभिलेख महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए।

एस.एन.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 2,031.68 करोड़ रुपए अव्ययित हैं। वित्त लेखे और एस.एन.ए. की रिपोर्ट के बीच व्यय के आंकड़ों में अंतर विचाराधीन है।

#### (xix) डी.डी.ओ. बैंक खाते में स्थानांतरित धनराशि:

उत्तराखंड सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V भाग-I के नियम 162 के अनुसार, कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक कि उसे तत्काल भुगतान करना आवश्यक न हो। मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने हेतु कोषागार से धन निकालना अनुमन्य नहीं है। हालाँकि, उत्तराखंड सरकार के कोषागारों ने विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा रखे गए बैंक खातों में ₹ 1,099.52<sup>12</sup> करोड़ रुपये की निधियों को हस्तांतरित किया है।

डी.डी.ओ. बैंक खातों में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि की जानकारी 65 सी.सी.ओ. (4714 डी.डी.ओ.) से मांगी गई थी। कुल 65 सी.सी.ओ. में से 37 सी.सी.ओ. ने कोई जानकारी नहीं दी, 15 सी.सी.ओ. ने शून्य जानकारी दी और केवल 13 सी.सी.ओ. (27 डी.डी.ओ.) ने इस संबंध में जानकारी दी। 13 सी.सी.ओ. (27 डी.डी.ओ.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक डी.डी.ओ. के बैंक खातों में अभी भी ₹ 65.94 करोड़ रुपये की राशि अव्ययित है।

#### 4. आकस्मिकता निधि:

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनराशि का भुगतान तथा उससे धनराशि के आहरण से संबंधित या सहायक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए आकस्मिकता निधि नियम, 2001 बनाए हैं। उत्तराखंड राज्य की आकस्मिकता निधि का संग्रह ₹ 500.00 करोड़ का है। वर्ष 2024-25 के अंत तक, विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 310.13 करोड़ रुपए अप्रतिपूर्ति रहे। इसका विवरण अगले पृष्ठ पर है।

<sup>12</sup>आई.एफ.एम.एस. की ई-ऑडिट रिपोर्ट के प्रासंगिक आंकड़ों के अनुसार।

क्रम सं.	प्रमुख शीर्षक	मात्रा (₹ करोड़ में)
1.	न्याय प्रशासन	0.58
2.	लोक सेवा आयोग	5.00
3.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.74
4.	फसल कृषि कर्म	1.22
5.	पशुपालन	6.83
6.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	23.57
7.	मुख्य सिंचाई	2.06
8.	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	45.00
9.	सड़क और पुल	10.00
10.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	25.00
11.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2.81
12.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	35.36
13.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	9.20
14.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	53.00
15.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	89.76
	<b>योग</b>	<b>310.13</b>

31 मार्च 2025 तक आकस्मिकता निधि में शेष राशि ₹ 189.87 करोड़ है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे के विवरण 1, 2 और 21 में उपलब्ध हैं।

#### 5. लोक लेखा:

##### (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.):

01.10.2005 या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि को नेशनल सिविलियोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित करना होता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹ 1,848.38 करोड़ था (कर्मचारियों का योगदान ₹ 755.15 करोड़, सरकार का योगदान ₹ 1,073.23 करोड़ एवं ब्याज भुगतान ₹ 20.00 करोड़)। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार द्वारा ₹ 1,848.38 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 755.15 करोड़, सरकार का योगदान ₹ 1073.23 करोड़ एवं ब्याज भुगतान ₹ 20.00 करोड़) की राशि मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक खाते में जमा की गई।

वित्तीय वर्ष में लोक लेखों में हस्तांतरित / जमा की गई कुल राशि में से, ₹ 91.24 करोड़ लोक लेखों में ही रह गए और उन्हें एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित नहीं किया गया। सरकार के नकद शेष को इस राशि से अधिक बताया गया है।

**(ii) (क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:**

**(अ) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.):** राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत जो ब्याज सहित वाले अनुभाग के अंतर्गत आता है) के गठन एवं प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र एवं राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में कोष में अंशदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 868 करोड़ केन्द्र सरकार के अंश के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 96 करोड़ है। राज्य सरकार ने ₹ 1,038.40 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 868 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 96 करोड़ और ब्याज 74.40 करोड़) मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में हस्तांतरित किये।

इसके अलावा, राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए केन्द्र सरकार से ₹ 21.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 31 मार्च 2025 तक मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में जमा/हस्तांतरित नहीं किये गये।

मुख्य लेखा शीर्ष 2245 में निधि से किए गए व्यय के रूप में ₹ 1,682.40 करोड़ की राशि सेट ऑफ की गयी तथा निधि से कोई भी धनराशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 तक कोष में ₹ 76.67 करोड़ अवशेष था।

**(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि:**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) I के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) / राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)2007 दिनांक 05.05.2008 के तहत एस.डी.एम.एफ. का गठन किया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में इस कोष में योगदान देना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को ₹ 217 करोड़ केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 24 करोड़

है। राज्य सरकार ने निधि में मुख्य लेखा शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के अंतर्गत ₹ 450.90 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 217 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 24 करोड़, ब्याज 1.70 करोड़ और पिछले वर्षों का हस्तांतरण ₹ 208.20 करोड़) हस्तांतरित किये।

मुख्य शीर्ष 2245 में निधि से किए गए व्यय के रूप में ₹ 470.60 करोड़ की राशि सेट ऑफ की गयी तथा निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹ 1.78 करोड़ अवशेष था।

**(स) राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि:** पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखों में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) की स्थापना करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत ₹ 730.77 करोड़ (₹ 226.76 करोड़ ब्याज, ₹ 0.62 करोड़ बैलेंस ट्रांसफर और राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि से ₹ 503.39<sup>13</sup> करोड़ की कुल प्राप्ति) (पिछले वर्ष ₹ 213.01 करोड़) की धनराशि लेखांकित की है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 503.39 करोड़ (पिछले वर्ष कोई राशि प्राप्त नहीं हुई) प्राप्त हुए हैं। सरकार ने निधि से ₹ 850.70 करोड़ का व्यय किया और वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की। 31 मार्च 2025 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 2,875.27 करोड़ थी।

राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2018 को जारी लेखांकन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के नियम 2 (6) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को मुख्य लेखा शीर्ष 8336 सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखों में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना है। निधि का 90 प्रतिशत भाग राज्य के लोक खाते में मुख्य लेखा शीर्ष 8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना है और शेष 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाना है, बशर्ते निधि के 10 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से का क्रेडिट मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी तक मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' नहीं खोला है।

<sup>13</sup> इसमें मुख्य शीर्ष 1601-06-900 के अंतर्गत इस वर्ष किए गए 312.13 करोड़ रुपये के समायोजन की राशि शामिल है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है।

**(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:**

**(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:** उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2006 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की थी। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान कर सकते हैं। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने ₹ 300 करोड़ का योगदान किया। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹ 2,178 करोड़ अवशेष था। (31 मार्च 2024 तक ₹ 1,878 करोड़) आर.बी.आई. की सिफारिश के अनुसार निधि की कुल धनराशि कुल बकाया देनदारियों का कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिए। वर्तमान में, निधि की कुल धनराशि 5,371.75 करोड़ है (आरबीआई के अनुसार, योगदान और ब्याज सहित), जो 31 मार्च 2025 तक 90,657.16<sup>14</sup> करोड़ की बकाया देनदारियों का 5.93 प्रतिशत है।

**(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि:** राज्य सरकार ने आरबीआई द्वारा प्रशासित किए जाने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार आरम्भ में ₹ 10.00 करोड़ राशि का योगदान करेगी और उसके बाद बकाया आहूत प्रत्याभूतियों और वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रत्याभूतियों के परिणामस्वरूप संभावित उनामोचित प्रत्याभूतियों की राशि का न्यूनतम 1/5 भाग योगदान करेगी। निधि को धीरे-धीरे एक ऐसे वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा जिसे अगले 5 वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियों के संभावित आह्वान से सरकार पर अवक्रमित प्रत्याशित प्रत्याभूतियों की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा सके। वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹ 50.00 करोड़ का योगदान दिया। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹ 168.59 करोड़ रुपये अवशेष था। (31 मार्च 2024 तक ₹ 118.59 करोड़ रुपये)

आर.बी.आई. की सिफारिश के अनुसार फंड की कुल राशि बकाया गारंटी का कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिए। निधि में कुल राशि 261.91 करोड़ है (आरबीआई के अनुसार, योगदान और ब्याज सहित), जो 31 मार्च 2025 तक बकाया गारंटी 105.85 करोड़ का 247.44 प्रतिशत है।

*निधि में लेनदेन वित्त लेखों के विवरण 21 और 22 में दर्शाए गए हैं।*

**(iii) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.):**

भारत सरकार के 31-03-2018 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अवसंरचना आदि के लिए किया जाएगा। वर्तमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र से राज्य द्वारा प्राप्त अनुदानों को

<sup>14</sup> इसमें मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक-टू-बैंक ऋण की 4,008.88 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है।

प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य लेखाशीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8449-103-केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अंतर्गत लोक खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.आई.एफ. के लिए ₹ 55.07 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने लोक लेखों के अंतर्गत निधि में ₹ 55.07 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये। कुल 55.07 करोड़ रुपये की हस्तांतरित राशि को मुख्य शीर्ष 5054-04-902 में निधि से किए गए व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

**(iv) उच्चंत और प्रेषण शेष:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र आदि दस्तावेजों के अभाव में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा कोई राशि उच्चंत [मुख्य लेखा शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 102 (OB Suspense) एवं लघु शीर्ष 110-रिज़र्व बैंक उच्चंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय] के रूप में नहीं रखी गई है।

वित्त लेखे उच्चंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष दर्शाते हैं। विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे और जमा शेषों को अलग-अलग जोड़कर इन लेखाशीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि को दर्शाया जाता है, 31 मार्च 2025 को मुख्य लेखा शीर्ष 8658, 8782, एवं 8793 में ₹ 71.68 करोड़ (जमा) (31 मार्च 2024 तक ₹ 70.97 करोड़ जमा) की धनराशि थी।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान न होने से राज्य सरकार के प्राप्ति / व्यय के आंकड़ों और विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) के अंतर्गत शेष राशि की सटीकता प्रभावित होती है।

**(v) चेक, बिल और डिजिटल भुगतान:**

मुख्य लेखाशीर्ष 8670 चेक और बिल के अंतर्गत क्रेडिट बैलेंस जारी किए गए लेकिन नकदीकरण नहीं किये गए चेकों दर्शाता है। 01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि थी ₹ 84.07 करोड़ (जमा) थी। वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 59,759.08 करोड़ रुपये मूल्य के चेक जारी किए गए, जिसके परिप्रेक्ष्य में ₹ 59,746.59 करोड़ के चेक भुनाए गए, 31 मार्च 2025 तक ₹ 96.57 करोड़ (जमा) समापन शेष रहा। समापन शेष विभिन्न कार्यात्मक मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक उत्तराखंड सरकार को कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान आदेश को लेनदेन पूरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालांकि, विफलता के मामले में जिसे 'ई-कुबेर विफल' लेनदेन कहा जाता है, लेनदेन के उपचार को 8658 में उच्चंत के रूप में माना जाता है। ई-कुबेर विफल लेनदेन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

**(vi) भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:**

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) बनाया। जुलाई 2006 में जारी राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार, बिल्डरों और अन्य निर्माण इकाइयों/बिल्डरों द्वारा देय उपकर श्रम विभाग का राजस्व नहीं है, इसलिए उपकर श्रम विभाग के विभागीय खाता शीर्ष में जमा नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर, यह उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव के पक्ष में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, एकत्र किया गया उपकर सीधे बोर्ड के खाते में जमा किया जाता है और सरकारी लेखों के माध्यम से नहीं भेजा जाता है।

**(vii) राज्य द्वारा लगाए गए अन्य उपकर:**

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने उपकर (हरित ऊर्जा उपकर) के संग्रह के रूप में ₹ 104.11 करोड़ एकत्रित किया [(2023-24: ₹ 103.41 करोड़)]। मुख्य लेखाशीर्ष-0801-विद्युत, 01-जल विद्युत उत्पादन, 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 120 करोड़ लेखांकित किए गए हैं। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014 की धारा 6 और 7 (1) के अनुसार, राज्य सरकार को 'हरित ऊर्जा निधि' नामक एक निधि स्थापित करने की आवश्यकता है और उपकर की आय को राज्य की समेकित निधि से इस निधि में स्थानांतरित किया जाना है। 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई निधि स्थापित नहीं की गई है।

यूपीसीएल की रिपोर्ट के अनुसार हरित उर्जा कर का प्रारंभिक शेष ₹ 129.68 करोड़ था और वर्ष के दौरान कुल संग्रह ₹ 104.11 करोड़ [(2023-24: ₹ 103.41 करोड़)] था। इसमें से ₹ 120 करोड़ (2023-24: ₹ 80 करोड़) को राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया। संग्रहकर्ता (यूपीसीएल) के पास ₹ 113.79 करोड़ की राशि शेष रही। उपकर के ₹ 120 करोड़ के हस्तांतरण न किये जाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने भूमि उपकर और जल उपकर जैसे अन्य उपकरों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, हालांकि वर्ष 2024-25 के दौरान 'मुख्य शीर्ष 0029-103-भूमि पर दरें और उपकर'; और 'मुख्य शीर्ष 0045-110- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम के तहत प्राप्तियां' के तहत पुस्तांकित है।

**(viii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) को धन प्रेषण:**

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) – एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) (2015 में संशोधन द्वारा सम्मिलित) के तहत की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) में कहा गया है कि खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को ट्रस्ट को दूसरी अनुसूची के

अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशानुसार करना होगा।

एन.एम.ई.टी. नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि एकत्रित की गई राशि को ट्रस्ट फंड में जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियम 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के अनुसार भुगतान की गई राशि और रॉयल्टी भुगतान के बारे में मासिक आधार पर भारत खान ब्यूरो को जानकारी प्रदान करेगी।

एन.एम.ई.टी. (संशोधन) नियम, 2018 के नियम 7(1) में कहा गया है कि खनन पट्टा या पूर्वोक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के अंतर्गत रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि ट्रस्ट को इस प्रयोजन के लिए बुक किए गए शीर्ष के अंतर्गत राज्य के लोक खाते में जमा करके देगा। इसके अलावा, नियम 7(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार उपनियम (1) के अंतर्गत राज्य के लोक खाते में एकत्रित राशि को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करेगी।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एफ.सं. द्वारा अधिसूचित नई लेखा प्रक्रिया के अनुसार। 8/1/2015-एन.एम.ई.टी. दिनांक 05.04.2018 के अनुसार खनन पट्टा या पूर्वोक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि को एनएमईटी अंशदान के रूप में ट्रस्ट को भुगतान करेगा, जिसे मुख्य शीर्ष 8449-123-एन.एम.ई.टी. जमा के अंतर्गत राज्य के लोक खाते में जमा किया जाएगा। मुख्य शीर्ष 8449-123-एन.एम.ई.टी. जमा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्रित प्राप्तियां उसी लेखा शीर्ष को डेबिट करके मासिक आधार पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी। एनएमईटी फंड भारत के लोक खाते के तहत बनाया गया गैर-व्यपगत और गैर-ब्याज-देयता वाला फंड है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, शीर्ष 8449-00-123-एन.एम.ई.टी. जमा के अंतर्गत ₹ 0.44 करोड़ की राशि जमा की गई। राज्य सरकार ने ₹ 0.41 करोड़ भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित कर दिए।

मुख्य शीर्ष 8449 के तहत आवंटित राशि में से, सरकार ने एनएमईटी (केंद्र सरकार) को ₹ 0.03 करोड़ अल्प हस्तांतरित किए, जिससे राज्य सरकार के रोकड़ शेष में अधिक राशि दिखाई दी।

#### (ix) ऋणात्मक अवशेष :

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि पर बंद होने वाला खाता शीर्ष ऋणात्मक शेष दर्शाता है, डेबिट/(-) क्रेडिट शेष देयता शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहां इसमें सामान्य रूप से क्रेडिट शेष होना चाहिए, और क्रेडिट/(-) डेबिट शेष संपत्ति शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहां इसमें सामान्य रूप से डेबिट

शेष होना चाहिए। खाता शीर्ष में प्रतिकूल शेष या तो गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त योगदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे नहीं ले जाने, राज्यों/अधिक लेखा इकाइयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है।

31.03.2025 तक 21 मदों में ऋणात्मक अवशेष का विवरण निम्नवत् है:

प्रमुख शीर्षक	प्रमुख शीर्ष विवरण	माइनस बैलेंस (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणी
6801-00-800	बिजली बोर्डों को अन्य ऋण	(-)7.72	गलत वर्गीकरण
6801-05-800	बिजली बोर्डों को अन्य ऋण	(-)143.00	
6851-00-102	लघु उद्योग	(-)0.18	वर्ष 2000 में राज्यों (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) के विभाजन से पूर्व स्वीकृत ऋणों की वसूली
7610-00-201	गृह निर्माण अग्रिम	(-)17.08	
7610-00-202	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम राशि	(-)4.28	
7610-00-204	कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम राशि	(-)0.05	
7610-00-800	अन्य अग्रिम	(-)0.21	
8009-60-102	अंशदायी भविष्य पेंशन निधि	(-)0.48	
8010-00-105	अन्य ट्रस्ट	(-)0.31	विरासत का मुद्दा, विभाजन के बाद से प्रतिकूल
8011-00-106	अन्य बीमा और पेंशन निधि	(-)0.42	गलत वर्गीकरण
8011-00-800	स्थानीय निकाय	(-)0.10	
8229-00-110	विद्युत विकास निधि	(-)36.48	2014-15 के दौरान अतिरिक्त व्यय, समाधान के अधीन
8443-00-106	व्यक्तिगत निक्षेप	(-)2.49	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के बीच बंटवारा अभी भी लंबित है
8443-00-117	सार्वजनिक निकायों अथवा व्यक्तिगत कार्य हेतु निक्षेप	(-)0.21	
8443-00-123	शैक्षिक संस्थानों के लिए निक्षेप	(-)2.05	
8443-00-900	सिविल न्यायलय व्यपगत निक्षेप	(-)18.24	
8448-00-103	छावनी निधि	(-)1.52	
8448-00-105	राज्य परिवहन निगम निधि	(-)6.27	
8448-00-111	चिकित्सा तथा अक्षय निधि	(-)6.62	

8671-00-101	विभागीय अवशेष (सिविल)	(-)10.71	अप्रैल 2019 में
8672-00-101	स्थायी नगद अग्रदाय (सिविल)	(-)0.81	आई.एफ.एम.एस.के कार्यान्वयन के बाद से, कार्य प्रभाग का लेखांकन बदल गया है। अब सभी कार्य प्रभागों का लेन-देन नगद आधार पर कोषागार के माध्यम से किया जा रहा है। आई.एफ.एम.एस. के कार्यान्वयन के बाद से ये लेखा शीर्ष अब निष्क्रिय हैं।

**(x) रोकड़ शेष:**

महालेखाकार के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2025 तक रोकड़ शेष ₹ 1.19 करोड़ (जमा) एवं आर.बी.आई. द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ₹ 0.05 करोड़ (जमा) था। दोनों आंकड़ों में शुद्ध अंतर ₹ 1.24 करोड़ (जमा) था, जो मुख्य रूप से ट्रेजरी / आर.बी.आई. / एजेंसी बैंक और ए.जी. ऑफिस के बीच लंबित मिलान के कारण है। यह अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2024 तक यह स्थिति ₹ 96 करोड़ (जमा) थी।

जून 2025 तक यह अंतर ₹ 2.01 करोड़ (जमा) था।

संबंधित आंकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

**(xi) वस्तु शीर्ष 42 - "अन्य विभागीय व्यय"के अंतर्गत व्यय**

पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से बजट और व्यय का वर्गीकरण वस्तु शीर्ष तक करना आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु शीर्ष को व्यय की ऐसी विशिष्ट श्रेणी को दर्शाने हेतु निर्धारित किया गया है, जो उसके स्वरूप और उद्देश्य को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने वस्तु शीर्ष "42-अन्य विभागीय व्यय" के अंतर्गत ₹ 4,750.92 करोड़ (₹ 4,441.86 करोड़ राजस्व और ₹ 309.06 करोड़ पूंजीगत के अंतर्गत) का व्यय पुस्तान्कित किया है।

इसमें से:

- ₹3,936.15 करोड़ की राशि बैंक खातों में अंतरण की गई, जिसमें SDRF, SDMF, उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना, जिला योजना, EAPs आदि को किए गए अंतरण सम्मिलित हैं। इनमें से, SASCI योजना (कैपिटल व्यय) के अंतर्गत प्राप्त ₹ 307.50 करोड़ 31.03.2025 को SDRF के SNA खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

- ii. ₹ 392.26 करोड़ को वैकल्पिक विशिष्ट वस्तु शीर्षों (जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उपयोग में हैं) के अंतर्गत पुस्तांकित किया जा सकता था, जिनका उद्देश्य वस्तु शीर्ष 42 के अंतर्गत व्यय की प्रकृति को दर्शाना है।

इससे व्यय का गलत वर्गीकरण होता है और लेखों में पारदर्शिता कम हो जाती है।

#### 6. प्राप्ति, व्यय और नकदी शेष पर प्रभाव:

राज्यों के वित्त पर गलत वर्गीकरण / वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन का राजस्व व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है :- (₹ करोड़ में)

पैरा नं.	वस्तु (दृष्टांतात्मक)	राजस्व व्यय का अधिक आंकलन	राजस्व व्यय का कम आंकलन	पूंजीगत व्यय का अधिक आंकलन	पूंजीगत व्यय का कम आंकलन	राजस्व प्राप्तियों का अधिक आंकलन	राजस्व प्राप्तियों का कम आंकलन	रोकड़ शेष का कम आंकलन	रोकड़ शेष का अधिक आंकलन
3(ii)	राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण		909.31	909.31					
3(viii)	ब्याज का भुगतान न करना		0.30						
4	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि की वसूली न होना		95.00		215.13				
5(i)	एन.पी.एस. राशि का एनएसडीएल को हस्तांतरण न करना								91.24
5(vii)	उपकर/शुल्क/अधिभार का गैर-हस्तांतरण		120.00						
5(viii)	NMET (केंद्र को ) रॉयल्टी का अल्पांतरण								0.03
<b>कुल (शुद्ध) प्रभाव</b>	<b>अधिक आंकलन / कम आंकलन</b>		<b>कम आंकलन 1,124.61</b>	<b>अधिक आंकलन 694.18</b>				<b>अधिक आंकलन 91.27</b>	





© भारत के नियंत्रक  
एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi>

